नैतिक आचार संहिता

“हमारी नैतिक आचार संहिता, अखंडता और ज़िम्मेदारी के प्रति हमारे **समूह की प्रतिबद्धता** को दर्शाती है,”

“एक वैश्विक कंपनी और ऊर्जा परिवर्तन में एक प्रमुख खिलाड़ी के तौर पर, **ENGIE** को नैतिक सिद्धांतों के अनुपालन में शामिल होना चाहिए।

हमारी **नैतिक आचार संहिता** अखंडता और ज़िम्मेदारी के प्रति हमारे समूह की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, ऐसे मूल्य जो हमारे प्रत्येक कार्य में, चाहे हम कहीं भी काम करते हों, **समूह** के भीतर और तीसरे पक्ष के साथ हमारे संबंधों में जीवंत बने रहने चाहिए।

इस प्रकार हम ईमानदारी, नीतिपरायणता, नैतिकता और पारदर्शिता के साथ कार्य करने, किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी को अस्वीकार करने, मानवाधिकारों और प्रत्येक देश में लागू कानूनों और विनियमों के साथ-साथ हमारी सामाजिक और पर्यावरणीय नीतियों का सम्मान करने का वचन देते हैं।

ये प्रतिबद्धताएं हमारी आचार संहिता का आधार हैं, इन पर समझौता नहीं किया जा सकता है और ये वह आधार है जिस पर हमारे सभी कार्य और हमारी प्रतिष्ठा टिकी हुई है।

ज़िम्मेदारी निभाना निश्चित रूप से एक आवश्यक मूल्य है। हममें से प्रत्येक को इस आचार संहिता का पूरी तरह से पालन करना चाहिए और इस प्रकार हमारी कंपनी के तौर पर और समग्र रूप से समाज में सकारात्मक योगदान देना चाहिए।

हमारा निदेशक मंडल, जो हमारी नैतिकता, पर्यावरण और सतत विकास समिति के काम की निगरानी करता है, नैतिकता और अनुपालन के संदर्भ में सर्वोत्तम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए इस आचार संहिता और **कैथरीन मैक ग्रेगर** और **कार्यकारी समिति** की कार्रवाई का पूरी तरह से समर्थन करता है।

मुझे भरोसा है कि हम सभी अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखेंगे!”

जीन-पियरे क्लैमाडियू
अध्यक्ष

“ मैं बहुत पहले से ही यह मानती आई हूँ कि: कोई भी कंपनी समय के साथ अपने कर्मचारियों, ग्राहकों, शेयरधारकों और प्रदाताओं के लिए केवल तभी मूल्यवान बन सकती है, जब वह नैतिकता को अपने संदर्भ मूल्यों के शीर्ष पर रखती है।

अपने प्रमुख व्यवसायों पर फिर से गौर करते हुए, ऊर्जा परिवर्तन में अपनी भूमिका निभाते हुए, **ENGIE** का एक उद्देश्य है अपने दीर्घकालिक विकास का मार्गदर्शन करना, ताकि लोगों और धरती पर सकारात्मक प्रभाव डालने के साथ आर्थिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने में सामंजस्य स्थापित किया जा सके।

इसलिए यह न केवल इस बारे में है कि **हमारा काम** लोगों के लिए **एक मिसाल बने**, बल्कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र, हमारे पर्यावरण और जिन समुदायों की हम सेवा करते हैं, उनके लिए सकारात्मक, ज़िम्मेदार और सतत बदलाव शुरू करने के बारे में भी है।

इस आचार संहिता द्वारा स्थापित नैतिक सिद्धांत हमारे प्रमुख रणनीतिक विकल्पों को सूचित करते हैं और हमारे **प्रबंधकीय, वाणिज्यिक और परिचालन** के तौर-तरीकों की आधारशिला के तौर पर काम करते हैं।

नैतिकता के साथ काम करना हर किसी की ज़िम्मेदारी है। इसलिए मुझे समूह के सभी कर्मचारियों से अपेक्षा है कि वे अपने कार्य, स्थान, संस्कृति या वरिष्ठता की परवाह किए बिना, समूह द्वारा उन्हें उपलब्ध कराई गई टीमों और संसाधनों का उपयोग करके **हमारे** नैतिक सिद्धांतों को अपनाएं; इन्हें बढ़ावा दें; और वे उन्हें दैनिक आधार पर **अपनी रोजमर्रा के कार्यों में अनुपालन में लाएं।**

यह हममें से प्रत्येक की ज़िम्मेदारी है कि नैतिक आचार संहिता में निर्धारित सिद्धांतों के किसी भी उल्लंघन के बारे में हम अपनी **आंतरिक टीमों** या अपने **अलर्ट सिस्टम** के माध्यम से, नेकनीयत के साथ रिपोर्ट करें और ऐसे हमलों को रोकने में मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करें।

यह हममें से प्रत्येक की **प्रभावी** और **दैनिक** भागीदारी है जो हमारी कंपनी की **नैतिक आवश्यकताओं** को अपनी पूरी ताकत देगी, जिसे **हमारी संस्कृति** और हमारी **कॉर्पोरेट पहचान का पूरी तरह से घटक बनना चाहिए।**

पूरी दुनिया में, हमारे वार्ताकारों को **ENGIE** एक बेमिसाल कंपनी के रूप में पहचानना चाहिए जो अपने मूल्यों में अटल है।

हम किसी भी प्रकार की **धोखाधड़ी**, **भ्रष्टाचार**, और **ईमानदारी**, के सिद्धांतों के किसी भी उल्लंघन के प्रति कोई सहिष्णुता नहीं दिखाएंगे: इन मामलों में किसी भी सिद्ध विफलता के परिणामस्वरूप **अनुशासनात्मक प्रतिबंध** लगाए जाएंगे।

कोई भी विकास या प्रदर्शन से संबंधित उद्देश्य, चाहे बाज़ार की समस्या कुछ भी हो, विशेष रूप से हमारे नैतिक सिद्धांतों से किसी भी तरह से डगमगाने का कारण नहीं बन सकता है।

नैतिक आचरण बेहतर संचालन का हिस्सा है और मैं इससे गहराई से जुड़ी हुई हूं। यह हमारी कंपनी की **स्थायी सफलता** और **एकता** में योगदान देगा।

मैं आप सभी पर भरोसा कर रही हूँ! ”

कैथरीन मैकग्रेगर
कार्यकारी निदेशक

“ **नैतिक आचरण बेहतर संचालन** का हिस्सा है और मैं इससे **गहराई से जुड़ी हुई हूं**। ”

सारांश

हमारा मकसद 06

हमारी नैतिक आचार संहिता 07

एक ENGIE, एक नैतिकता: एक मिसाल 08

हमारे सिद्धांत 10

भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी: शून्य सहनशीलता 10

कानूनों और विनियमों का अनुपालन 11

अंतर्राष्ट्रीय निषेध और निर्यात नियंत्रण नियमों का सम्मान करना 11

व्यापार के तौर-तरीकों में निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धा के प्रति सम्मान 11

व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा 12

कंपनी और उसकी संपत्तियों की सुरक्षा करना 13

तीसरे पक्षों के साथ हमारे संबंधों में ईमानदारी और वफादारी 17

वाणिज्यिक सलाहकार या कुछ मध्यस्थ: *असाधारण परिस्थितियों में और आवश्यकता होने पर सतर्कता बढ़ाने के लिए सहायता लेना* *17*

सरकारी प्राधिकरणों के साथ पारदर्शिता रखना 17

संरक्षण, प्रायोजन और साझेदारी 18

मानवाधिकारों का सम्मान 19

एक सम्मानजनक और समावेशी काम का माहौल बनाना 19

हिंसा, नैतिक या यौन उत्पीड़न और लैंगिक व्यवहार के खिलाफ लड़ना 19

जबरन श्रम और बाल श्रम पर प्रतिबंध 20

संघ की स्वतंत्रता का सम्मान 20

स्थानीय समुदायों के अधिकारों का सम्मान 20

पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता 21

हमारे कार्य **22**

नैतिकता के लिए काम करना और प्रतिबद्ध होना एवं भ्रष्टाचार न करना हर किसी की ज़िम्मेदारी है 22

निदेशक और प्रबंधक: 22

संगठन की नैतिकता, अनुपालन एवं गोपनीयता 22

अनुपालन जांच करना 23

सूचना देना, ट्रेनिंग देना और रोकथाम करना 24

ट्रेनिंग देना 24

हमारे तीसरे पक्षों को जानें 24

सत्यनिष्ठा से परे कृत्यों में शामिल होने के ख़तरों से बचाव करना 25

किसी भी अनैतिक घटना की रिपोर्ट करें: इसे अपने तक न रखें 27

अनैतिक घटनाओं की मैनेजर को रिपोर्ट करना और उसकी प्रोसेस करने की निगरानी 27

ग्रुप अलर्ट सिस्टम 29

हमारे सिद्धांतों के किसी भी उल्लंघन के संबंध में 29

संबंधित जानकारी से ख़ास बातें **32**

शब्दावली **33**

हमारा मकसद

हमारा उद्देश्य कम ऊर्जा खपत और अधिक पर्यावरण-अनुकूल समाधानों के माध्यम से कार्बन-तटस्थ अर्थव्यवस्था में कदम रखने के लिए तेज़ी से कार्य करना है।

यह उद्देश्य कंपनी, उसके कर्मचारियों, उसके ग्राहकों और उसके शेयरधारकों को आपस में जोड़ता है और लोगों और धरती पर सकारात्मक प्रभाव डालने के साथ आर्थिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने में सामंजस्य स्थापित करता है।

ENGIE के कार्यों का मूल्यांकन पूरे तौर पर और समय-समय पर किया जाता है।

हमारी नैतिक आचार संहिता हमारे अस्तित्व की परिचायक है।

हमारी नैतिक आचार संहिता

हमारी नैतिक आचार संहिता **समूह के सभी कर्मचारियों** (स्थायी, अस्थायी या किसी तीसरे पक्ष की कंपनी द्वारा समर्थित) के साथ-साथ**समूह की कंपनियों के सभी निदेशकों**, **प्रबंधकों** और **और प्रशासकों** पर लागू होती है।

यह हमारे सभी तृतीय पक्षों जैसे कि हमारे **आपूर्तिकर्ताओं**, **सेवा प्रदाताओं**, **वाणिज्यिक साझेदारों**, **परिचालन**, **फाइनेंसरों**..., हमारी परियोजनाओं से प्रभावित **स्थानीय समुदायों** सार्वजनिक प्राधिकरणों, **गैर सरकारी संगठनों**, आदि के साथ संबंधों पर भी लागू होती है।

हमारी नैतिक आचार संहिता हर किसी पर, हर जगह लागू होती है।

एक ENGIE, एक नैतिकता: एक मिसाल

2021 से ही, **ENGIE** एक बहुत ही स्पष्ट रणनीतिक रोडमैप लागू कर रहा है, जिसका लक्ष्य समूह को शून्य-कार्बन ऊर्जा का चैंपियन बनाना और 2045 तक नेट जीरो कार्बन हासिल करना है। अपने उद्देश्य से प्रेरित होकर, **ENGIE** आज आर्थिक प्रदर्शन और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव को बेहतर ढंग से संयोजित करने की दृढ़ इच्छा के साथ ऊर्जा बदलाव की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।

सभी कर्मचारियों को दोषरहित नैतिक व्यवहार अपनाना चाहिए, ताकि हमारा समूह ज़्यादा वैल्यू क्रिएशन करता रहे।

*हर कोई एक बेमिसाल तरीके से कार्य करके **ENGIE** को एक विश्वसनीय और भरोसेमंद कंपनी बनाने में योगदान देता है, जो इसकी सफलता की गारंटी है। सुरक्षा के साथ-साथ, नैतिकता का पालन करना भी हमारे प्रदर्शन का आधार है*

नैतिकता क्या है?

नैतिकता का मतलब है वे सभी नियम और प्रक्रियाएं जो हमें किसी भी स्थिति में विवेक, व्यावहारिकता और ज़िम्मेदारी की भावना के साथ सही निर्णय लेने में मदद करती हैं। कंपनी में हम सभी नैतिकता के प्रति प्रतिबद्ध हैं, चाहे हमारा कार्य, हमारी स्थिति और हमारा देश कोई भी हो।

ENGIE नैतिक आचार संहिता सभी के उपयोग के लिए एक मार्गदर्शिका है, ताकि हम अपने आस-पड़ोस, सामाजिक और पर्यावरणीय क्षेत्रों में अपने मूल्यों और हमारी प्रतिबद्धताओं के अनुसार, हर उस देश में लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन में कार्य कर सकें जहां हम अपनी गतिविधियां करते हैं।

आइए, मिलकर अपने समूह की रक्षा करें और नैतिकता के बुनियादी नियमों के साथ कोई समझौता न करें।

शून्य सहनशीलता के लिए आचार संहिता

पदानुक्रमित स्तर, कार्य या स्थानीयकरण की परवाह किए बिना सभी के लिए एक नैतिक आचार संहिता तैयार की गई है, क्योंकि नैतिकता और अनुपालन **ENGIE** में एक अहम प्राथमिकता है और इसके संबंध में कोई उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यह 5 बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है।

1. भ्रष्टाचार एवं धोखाधड़ी पूरी तरह से प्रतिबंधित है

किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या लालच देकर पद का दुरुपयोग करने के लिए उकसाने को बढ़ावा देना, यहां तक कि मामूली भी, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इसमें विशेष रूप से शामिल हैं: किसी काम को आसान बनाने के लिए सरकारी कर्मचारी को भुगतान, राजनीतिक वित्तपोषण में भागीदारी, नकली बिल बनाना, मानव संसाधन के दायरे के बाहर पेशेवर लाभ देना (इंटर्नशिप सहित)।

2. मानवाधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए

समावेशी, अपनी विविधता, समानता और समावेशन नीति के नाम पर, समूह सभी प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाता है।

जबरन या बाल श्रम निषिद्ध है। संघ की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाता है। स्थानीय समुदायों को बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखा जाना चाहिए।

3. पर्यावरण संरक्षण एक प्रतिबद्धता है जिसके प्रति हम बाध्य हैं

पर्यावरण संरक्षण को हमारे समूह की प्राथमिकताओं और इसकी सीएसआर प्रतिबद्धताओं में ख़ास ध्यान दिया गया है। .

जो बुरा असर पड़ता है उसका अध्ययन करने में असफल रहना, चाहे वह पर्यावरणीय हो या सामाजिक, या इसे आंशिक रूप से पूरा करना, या आपूर्तिकर्ताओं से उन तौर-तरीकों को स्वीकार करना जो सतत विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धताओं से समझौता करते हैं, ये सभी हमारी प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन हैं।

4. कानून और नियम हम सभी पर लागू होते हैं

अंतर्राष्ट्रीय निषेध और निर्यात नियंत्रण नियमों का सम्मान करना, हमारे वाणिज्यिक तौर-तरीकों में निष्पक्ष रहना और प्रतिस्पर्धा का सम्मान करना आवश्यक सिद्धांत हैं, चाहे हमारी गतिविधि किसी भी क्षेत्र में हों।

प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करने, बढ़ावा देने या दंडित करने वाला कोई भी समझौता (मानहानि के साथ या उसके बिना) करने पर मनाही है। कंपनी, उसके कर्मचारियों और उसकी संपत्तियों (व्यक्तिगत डेटा, संवेदनशील जानकारी या बौद्धिक संपदा, आदि) की सुरक्षा करना अत्यावश्यक है।

5. ईमानदारी और वफादारी, तीसरे पक्षों के साथ हमारे संबंधों का आधार है

सार्वजनिक और अर्धसार्वजनिक प्राधिकारियों के साथ परस्पर बातचीत में, ENGIE अपने द्वारा समर्थित परियोजनाओं की गुणवत्ता, अपने कार्यों के लाभार्थियों और इनके और अपने हितधारकों के बीच ईमानदार और पारदर्शी संबंधों का सर्वोच्च मानक बनाए रखता है।

किसी तीसरे पक्ष को प्रभावित करने का इरादा रखने वाला कोई भी अनैतिक दृष्टिकोण, निविदा या अनुबंध नवीनीकरण के आमंत्रण के संदर्भ में की गई कोई भी संरक्षणात्मक कार्रवाई, पारदर्शिता के उन नियमों में बाधा है जिनकी हमें आवश्यकता है।

हमारा डेली रोडमैप

कार्रवाई के लिए चार प्राथमिकताओं की पहचान की गई है, ताकि हर कोई इस नैतिक आचार संहिता के प्रति अपना दायित्व समझे और इस पर अमल करे।

1. सभी स्तरों पर लागू करना

ENGIE की नैतिक प्रतिबद्धता और इसे मिसाल के तौर पर पेश करना, बिना किसी अपवाद के सभी कर्मचारियों पर लागू होती है। अपने स्वयं के आचरण द्वारा और यह सुनिश्चित करके कि उनकी टीमें ENGIE की नैतिक आचार संहिता का सम्मान करती हों, निदेशक और प्रबंधक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

2. सूचना देना, ट्रेनिंग देना और रोकथाम करना

सभी कर्मचारियों, विशेष रूप से भ्रष्टाचार के जोखिम से सबसे अधिक प्रभावित लोगों को, अनैतिक स्थितियों को रोकने और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए समग्र "ड्यू डिलिजेंस" की नीति (तीसरे पक्ष की जानकारी और मूल्यांकन) के बारे में जागरूक और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
वाणिज्यिक सलाहकार, सेवा प्रदाता या आपूर्तिकर्ता के किसी भी उपयोग को कड़ाई से नियंत्रित किया जाता है और इसे पहले से सत्यापित किया जाना चाहिए।

3. रिपोर्ट करना और मदद पाना

अनैतिक स्थिति का सामना करने वाले किसी भी कर्मचारी को इसे अपने तक नहीं रखना चाहिए और अपने सीनियर मैनेजर को इसके बारे में खुल कर बताना चाहिए। यदि किसी ऊपरी अधिकारी या इकाई के नैतिकता और अनुपालन अधिकारी को बताना मुश्किल है, तो समूह स्तर पर एक **अलर्ट सिस्टम** उपलब्ध कराया गया है।

4. सज़ा

हमने जो शून्य सहिष्णुता निर्धारित की है, उसके अंतर्गत हमारी नैतिक आचार संहिता के सिद्धांतों का कोई भी उल्लंघन दंडनीय होगा। इसे प्रबंधक या संबंधित कर्मचारी की इकाई द्वारा लागू किया जाएगा।
भ्रष्टाचार के किसी भी कृत्य पर नौकरी से बर्ख़ास्त कर दिया जाएगा।

कोई प्रश्न है? कोई ख़ास चीज़ समझने में समस्या हो रही है? जानकारी चाहिए? नैतिकता, अनुपालन और गोपनीयता विभाग आपकी सेवा में तत्पर है: **ethics-communication@engie.com**

अलर्ट सिस्टम: ethics@engie.com

हमारे समूह के नैतिक सिद्धांत उच्चतम अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित हैं जिनका हम अपनी सभी परियोजनाओं में ज़रूर पालन करते हैं:

◇ संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी संधि;
◇ अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक लेनदेन में विदेशी सार्वजनिक अधिकारियों की रिश्वतखोरी का मुकाबला करने पर आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) संधि;
◇ बहुराष्ट्रीय व्यवसायों के लिए ओईसीडी दिशानिर्देश;
◇ मानव अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय विधेयक, जिसमें मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संविदा और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संविदा शामिल है;
◇ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की संधि

हमारे सिद्धांत

भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी: शून्य सहनशीलता

ENGIE भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के किसी भी कार्य को प्रतिबंधित करता है, चाहे वह किसी भी रूप में, समय पर, स्थान पर, परिस्थितियों में या राशि का या ऐसा ही कुछ और हो।

भ्रष्टाचार से मूल्य और धन दोनों ही नष्ट होते हैं। कुछ लोगों के लाभ के लिए प्रदान की गई कुछ सेवाओं के कारण अन्य समुदायों को लाभों से वंचित रहना पड़ता है, और भ्रष्टाचार से विकास प्रयासों, अनुसंधान और प्रतिस्पर्धात्मकता पर बुरा असर पड़ता है।

यह उन लोगों और समाज को नुकसान पहुंचाता है जो बिना कोई ग़लती किए भी इसके परिणाम भुगतते हैं।

भ्रष्टाचार स्वीकार्य नहीं है, भले ही ये कितना भी छोटा क्यों न हो। हमारे समूह के नियमों के अनुसार, "काम कराने के लिए पैसे का लेन-देन" सख्त मना है। ये पेमेंट छोटे कमीशन या छोटे उपहार हैं जो सरकारी सेवकों या निर्णय लेने की शक्ति वाले लोगों से अपना काम कराने के एवज में उन्हें लाभ के तौर पर दिए जाते हैं।

अनुपालन में कोई भी विफलता होने पर, समूह की इकाई और उसके स्थान की परवाह किए बिना, स्थानीय रूप से लागू कानून द्वारा प्रदान की गई सजा और अनुशासनात्मक प्रतिबंधों के अधीन कार्यवाही होगी।

क्या आप जानते हैं?

ENGIE इंटीग्रिटी फ्रेमवर्क ने समूह के भ्रष्टाचार विरोधी कोड का गठन किया है: इसमें भ्रष्टाचार को रोकने और उससे मुकाबला करने के लिए हमारे दृष्टिकोण की सभी नीतियों और प्रक्रियाओं को एक साथ शामिल किया गया है।

ENGIE* का** *इंटीग्रिटी फ्रेमवर्क, समूह की वेबसाइट के नैतिकता और अनुपालन* ***पेजों पर *एक्सेस की जा सकती है और समूह कर्मचारियों के लिए समूह इंट्रानेट के नैतिकता और अनुपालन* ***पेजों पर*** *एक्सेस की जा सकती है।*

ENGIE विशेष रूप से प्रतिबद्ध है:

- **संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के माध्यम से जुड़कर, जिसका 10वां सिद्धांत भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से संबंधित है**
- **एनजीओ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के फ्रांसीसी अनुभाग से जुड़कर**

क्या करना चाहिए

- **अनिवार्य रूप से** नैतिकता एवं अनुपालन प्रशिक्षण पूरा करें।
- उपहार लेने, निमंत्रण स्वीकार करने और तकनीकी यात्राओं पर जाने के बारे में **ENGIE** की नीति के बारे में **जानें**, जो उपहार या निमंत्रण या यहां तक कि तकनीकी यात्रा देने या प्राप्त करने की संभावना को नियंत्रित करती है।
- समूह के नैतिक सिद्धांतों के विपरीत कोई कार्य करने से **मना करें** , विशेष रूप से ऐसे लेनदेन के लिए भुगतान करने के लिए जो समूह के सिद्धांतों के विपरीत हैं।
- यदि कोई क्लाइंट, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता या भागीदार रिश्वत का अनुरोध करता है या मांगता है, चाहे वह किसी भी रूप में हो, तो नैतिकता और अनुपालन अधिकारी या नैतिकता, अनुपालन और गोपनीयता विभाग को तुरंत **सूचना दें**।

क्या नहीं करना चाहिए

- **किसी कार्रवाई** (यात्रा के अधिकार, सीमा शुल्क निकासी, वीज़ा, आदि) को आसान बनाने के लिए अनुरोध किए जाने पर भी, **किसी सरकारी अधिकारी को गैर-कानूनी भुगतान करना** जिसमें कार्रवाई को आसान बनाने के लिए उनके द्वारा किए गए अनुरोध भी शामिल हैं।
- राजनीतिक वित्तपोषण में **शामिल** होना।
- ऐसी किसी भी सेवा के लिए चालान **जारी करना** या भुगतान करना जो वास्तव में नहीं की गई हैं।
- एचआर भर्ती प्रक्रियाओं के दायरे से बाहर जाकर आपूर्तिकर्ता, ग्राहक या भागीदार के परिवार के किसी सदस्य को इंटर्नशिप की **पेशकश करना।**

धोखाधड़ी के खिलाफ लड़ाई में जालसाजी करने या ग़लत दस्तावेज़ बनाने से परहेज़ करना शामिल है।

उपयोगी जानकारी

- **किकबैक** ऐसे अनुचित भुगतान हैं, किसी आपूर्तिकर्ता या सेवा प्रदाता को अनुबंध देने के लिए जिनका अनुरोध किया जाता है या खरीदारों को भुगतान किया जाता है। दिए गए अनुबंध का कुछ हिस्सा खरीदार या कॉन्ट्रैक्टर को वापस कर दिया जाता है। ये भ्रष्टाचार के कृत्य हैं। हमारा समूह धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के किसी भी कृत्य का विरोध करता है।
- **जबरन वसूली** में एक अनुबंध या प्राधिकरण को अनुचित विचार का प्रावधान करके, पैसे की एकमुश्त या दैनिक मांग से लेकर प्रशासनिक बाधाओं, या यहां तक कि व्यक्तियों और उनके परिवारों के खिलाफ शारीरिक धमकियों तक का दबाव डालकर लागू कराना शामिल है। समूह इनमें से किसी भी कृत्य को स्वीकार नहीं करता।

कानूनों और विनियमों का अनुपालन

हर समय और सभी स्थानों पर, **ENGIE** लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन करता है।

◆ अंतर्राष्ट्रीय निषेध और निर्यात नियंत्रण नियमों का सम्मान करना

समूह अपनी सभी गतिविधियों में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिबंधों और निर्यात नियंत्रण से संबंधित कानून के अनुपालन पर अत्यधिक ध्यान देता है।

प्रत्येक कर्मचारी को समूह नीति और प्रक्रियाओं के ढांचे के भीतर, इन नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा, और प्रतिबंध के तहत किसी देश या व्यक्तियों से जुड़े किसी भी लेनदेन को रोकना होगा।

यही बात प्रतिबंधात्मक उपायों और निर्यात नियंत्रण नियमों पर भी लागू होती है।

समूह के हरेक लेनदेन के लिए, प्रतिबंधों पर लागू राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इसमें शामिल देशों, समकक्षों और गतिविधियों की भली-भांति जाँच करना आवश्यक है।

◆ व्यापार के तौर-तरीकों में निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धा के प्रति सम्मान

ENGIE प्रतिस्पर्धा नियमों के अनुपालन को अत्यधिक महत्व देता है। इन नियमों का अनुपालन समूह के लिए प्राथमिकता है: शून्य सहनशीलता।

प्रतिस्पर्धा कानून **उन कंपनियों के बीच किसी भी समझौते पर रोक लगाता है जिनका उद्देश्य या प्रभाव बाजार में प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करना है।** हरेक कंपनी को अपनी स्वयं की औद्योगिक और वाणिज्यिक रणनीति निर्धारित करनी होगी और बाज़ार में स्वतंत्र रूप से कार्य करना होगा।

सभी कर्मचारियों को, संगठन के भीतर उनकी गतिविधि या स्थिति जो भी हो, प्रतिस्पर्धियों, ग्राहकों, भागीदारों, आपूर्तिकर्ताओं, सेवा प्रदाताओं, उपठेकेदारों और संभावित ग्राहकों के साथ समान व्यवहार करना आवश्यक है।

प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौते, संवेदनशील वाणिज्यिक जानकारी का आदान-प्रदान, एक प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग, जो भेदभावपूर्ण, अत्यधिक या बाज़ार बिगाड़ने वाली मूल्य नीति प्रथाओं आदि का रूप ले सकता है, निषिद्ध हैं, विशेष रूप से:

प्रतिस्पर्धियों के बीच सभी तौर-तरीके या समझौते जिनका कोई उद्देश्य होता है या प्रभाव पड़ सकता है, विशेष रूप से इस प्रकार हैं:

- सार्वजनिक या निजी निविदाओं पर सम्मिलित बोली लगाना;
- संयुक्त रूप से खरीद मूल्य, बिक्री मूल्य या मार्जिन तय करना;
- उत्पादन, निवेश, नवाचार और उपयोग को सीमित करने पर सहमति होना;
- भौगोलिक बाज़ारों या ग्राहकों, आउटलेटों या आपूर्ति के स्रोतों को आवंटित करने, किसी प्रतिस्पर्धी को ख़त्म करने, किसी आपूर्तिकर्ता या नए बाज़ार में प्रवेश करने वाले का बहिष्कार करने आदि के लिए सहमत होना;
- व्यावसायिक रूप से ऐसी संवेदनशील जानकारी का आदान-प्रदान करना जो अन्यथा बाजार में नहीं मिल सकती है और जिसे प्राप्त करने वाली कंपनी के व्यावसायिक व्यवहार पर प्रभाव पड़ने की संभावना है, जिसमें पेशेवर संघों के ढांचे के भीतर भी शामिल है।

सार्वजनिक रूप से सुलभ जानकारी के आधार पर, किसी प्रतिस्पर्धी से परामर्श किए बिना, और जानकारी खोजने के लिए विशेष रूप से कानूनी और नैतिक साधनों का उपयोग करते हुए, समूह का प्रत्येक कर्मचारी प्रतिस्पर्धी निगरानी करने के लिए अधिकृत है। पहचान की चोरी और छिपाना उसी तरह गैरकानूनी है, जैसे मानहानि, प्रतिस्पर्धियों का अपमान और गलत, नकली या हेर-फेर कर बनाए दस्तावेजों का उपयोग गैरकानूनी है।

इन नियमों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप समूह और संबंधित व्यक्तियों दोनों के लिए बहुत भारी वित्तीय, आपराधिक (जुर्माना और जेल की सजा) और मानहानि से संबंधित दंड झेलना पड़ सकता है।

क्या करना चाहिए

- अपने प्रतिस्पर्धियों से परामर्श किए बिना, अपनी स्वयं की बिक्री और विनिर्माण नीति **निर्धारित** करें।
- किसी प्रतिस्पर्धी के साथ, अत्यधिक सतर्कता के साथ और कानूनी सत्यापन के बाद ही **कोई भी संपर्क** करें।
- जिसमें प्रतिस्पर्धी भाग ले रहे हों, ऐसी किसी बैठक में जाने के लिए सहमत होने से पहले हमेशा एक **टीक एजेंडा रखें** , और यह सुनिश्चित करें कि एक तथ्यात्मक रिपोर्ट बनाई की गई है और बैठक के बाद सभी को सूचित किया गया है; इसका डॉक्यूमेंटेशन रखें।
- प्रतिस्पर्धियों के साथ,व्यावसायिक रुप से संवेदनशील या गोपनीय जानकारी से संबंधित किसी भी चर्चा को तुरंत समाप्त कर दें,और तुरंत अपनी इकाई के कानूनी विभाग और समूह कानूनी विभाग के प्रतिस्पर्धा और विनियमन विभाग को **सूचित करें।**
- उपलब्ध ई-लर्निंग और आमने-सामने प्रशिक्षण के माध्यम से इन प्रश्नों पर नियमित रूप से **प्रशिक्षण लें।**

क्या नहीं करना चाहिए

- **एक समझौते (लिखित या मौखिक) में प्रवेश करना** या एक प्रतियोगी के साथ एक तौर-तरीके को लागू करना, जिसका उद्देश्य या प्रभाव ऑपरेटरों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करने की संभावना है (उदाहरण के लिए: बाज़ार साझा करना, कीमतों पर सहमत होना, अन्य कंपनियों के साथ उत्पाद खरीदने से इनकार करना, आपूर्तिकर्ता, अपने आप को एक क्षेत्र, एक बैच या कुछ ग्राहकों आदि तक सीमित रखने के लिए सहमत होना)।
- प्रतिस्पर्धियों के साथ **संवेदनशील जानकारी का आदान-प्रदान करना** जो हमारी व्यावसायिक रणनीति पर प्रभाव डाल सकता है, और जो हमारे व्यावसायिक रहस्यों और/या जानकारी में शामिल होती हैं (उदाहरण के लिए ग्राहकों पर लागू होने वाली व्यावसायिक शर्तें, हमारी सेवाओं और ऑफ़र की प्रकृति, हमारी सेवाएं और प्रौद्योगिकियां, हमारे विकास और रणनीति, हमारी उत्पादन क्षमता, हमारे ग्राहकों के नाम, हमारी खरीद की स्थिति, आदि)।
- यदि हमारी बाज़ार में हिस्सेदारी महत्वपूर्ण है (यानि संबंधित बाजार में 30% से अधिक), तो कानूनी मान्यता के बिना, **वाणिज्यिक प्रथाओं को लागू करना**, जो प्रमुख स्थिति/बाज़ार शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है (उदाहरण: एक विशेष खरीद को थोपकर लागू करना/गैर-प्रतिस्पर्धा को थोपना, मूल्य निर्धारण की ऐसी शर्तों को लागू करना जिनसे कीमतें बढ़ जाती है, पहुंच से इनकार करना या बिना किसी वस्तुनिष्ठ कारण के बेचने से इनकार करना आदि)।
- ऐसे व्यापार संघ में **भाग लेना** जो प्रतिस्पर्धा कानून के अनुपालन में काम नहीं करता है।
- प्रतिस्पर्धियों को **बदनाम करना** या निंदा करना, उदाहरण के लिए उनके हुनर और प्रदर्शन के संबंध में।

◆ व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा

ENGIE गोपनीयता और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा को अत्यधिक महत्व देता है, चाहे वह उसके ग्राहकों, कर्मचारियों, भागीदारों, ठेकेदारों, उपठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं आदि का डेटा हो या उसके कर्मचारियों का।

ENGIE सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (जीडीपीआर) के साथ-साथ राष्ट्रीय कानून सहित लागू व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानूनों और विनियमों का अनुपालन करता है।

अपने नैतिक मूल्यों के आधार पर, **ENGIE** ने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए एक समूह नीति को परिभाषित किया है। सभी कर्मचारियों को इस नीति का सम्मान करना चाहिए।

मुझे अकस्मात किसी सहकर्मी के आईडी कार्ड की एक प्रति का ई-मेल प्राप्त हुआ। यह एचआर के लिए था, लेकिन गलती से मुझे भेज दिया गया।

मुझे क्या करना चाहिए?

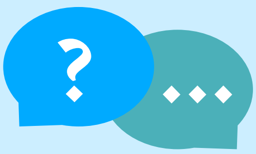

प्रश्न - उत्तर

व्यक्तिगत डेटा किसी व्यक्ति से संबंधित उसे पहचानने या पहचान योग्य बनाने वाली कोई भी भौतिक जानकारी है।
उदाहरण के लिए: पहला और अंतिम नाम, फोटो और पहचान विवरण, साथ ही लोगों से संबंधित अन्य जानकारी (चिकित्सा जानकारी)।

यदि आपको यह जानकारी गलती से प्राप्त हो जाती है, तो आपको अपने डेटा गोपनीयता प्रबंधक को सूचित करना होगा जो कम से कम आपसे इसे हटाने और इसकी कोई प्रति नहीं रखने के लिए कहेगा।

ENGIE कानूनी, निष्पक्ष, वैध और नैतिक तरीके से व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने और प्रबंधित करने के लिए प्रतिबद्ध है और हमेशा अपने ग्राहकों, कर्मचारियों और सभी तीसरे पक्षों की गोपनीयता का सम्मान करता है।

कंपनी और उसकी संपत्तियों की सुरक्षा करना

- *जानकारी की सुरक्षा करना*

प्रत्येक कर्मचारी उन्हें सौंपी गई जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है।

ENGIE का मानना है कि जो भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है उसे कंपनी का आंतरिक माना जाना चाहिए और उसी रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए।

व्यावसायिक रुप से संवेदनशील जानकारी, व्यावसायिक या औद्योगिक रहस्य, या व्यक्तिगत डेटा वाली जानकारी को विशेष रुप से संरक्षित किया जाना चाहिए।

सभी कर्मचारियों को सूचना की गोपनीयता के सिद्धांत का सम्मान करना चाहिए और लोगों और मूर्त और अमूर्त संपत्तियों की सुरक्षा से संबंधित समूह की नीतियों का पालन करना चाहिए।

चूंकि गोपनीय जानकारी का बड़ा हिस्सा जिस तक कर्मचारियों की पहुंच है, कम्प्यूटरीकृत है, यही कारण है कि समूह ने सूचना प्रणालियों के संबंध में विशिष्ट नियम परिभाषित किए हैं जिनका सभी को पालन करना होगा।

क्या करना चाहिए

- अपनी संवेदनशील जानकारी की **पहचान** करें, ताकि इसकी सुरक्षा की जा सके और उस पर दस्तावेज़ वर्गीकरण समूह के नियमों को लागू किया जा सके।
- उन गोपनीय दस्तावेज़ों को नष्ट करने के लिए पेपर श्रेडर का **उपयोग** करें जिन्हें आप रखना नहीं चाहते।
- आपसे मिलने आने वाले आगंतुकों के लिए **ज़िम्मेदार रहें** और उन्हें कंपनी परिसर में कभी भी अकेला न छोड़ें।
- **सुनिश्चित करें** कि हमारे द्वारा देखी गई गोपनीय जानकारी सार्वजनिक स्थानों पर निजी बनी रहे।
- **सावधान रहें** कि जिस गोपनीय जानकारी की हमें रक्षा करनी चाहिए वह ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य तीसरे पक्षों से भी संबंधित हो सकती है।

क्या नहीं करना चाहिए

- गोपनीय दस्तावेज़ प्रिंटर पर या मीटिंग रुम में **छोड़ देना**।
- जब आप अपने कार्यस्थल पर न हों या किसी यात्रा पर या किसी सम्मेलन में हों तो अपना कंप्यूटर खुला **छोड़ देना**।
- आपको सौंपी गई जानकारी का **उपयोग** कंपनी के आवश्यक उद्देश्यों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए करना।
- यह ध्यान दिए बिना किसी सूचना को बाहर **भेजना** कि भेजे गए दस्तावेज़ और उनके सही प्राप्तकर्ता कौन होने चाहिए थे।

संबंधित दस्तावेज़

- समूह कर्मचारियों के लिए, लोगों और मूर्त और अमूर्त संपत्तियों की सुरक्षा के लिए समूह नीति, समूह के **सुरक्षा और आर्थिक खुफिया विभाग को समर्पित समूह इंट्रानेट पेजों पर उपलब्ध है**।

- *अंदरूनी जानकारी और अंतरंग व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) पर नियमों का अनुपालन*

सौंपी गई ज़िम्मेदारियों के एक हिस्से के रूप में, कर्मचारियों को विशेषाधिकार प्राप्त जानकारी तक पहुंच प्राप्त हो सकती है, जिसके प्रकटीकरण से अंदरूनी व्यापार और/या कदाचार हो सकता है।

अंदरूनी जानकारी रखने वाला हरेक व्यक्ति असल में एक अंदरूनी सूत्र है। किसी सूचीबद्ध कंपनी से संबंधित आंतरिक जानकारी रखने वाले व्यक्ति को, स्थानीय नियमों द्वारा निर्धारित अवधि या जब तक व्यक्ति आंतरिक जानकारी रखता है तब तक, ऐसी जानकारी का खुलासा करने से, इस कंपनी की प्रतिभूतियों को खरीदने या बेचने (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) से, या यहां तक कि इन प्रतिभूतियों को खरीदने, बेचने या रखने के लिए किसी तीसरे पक्ष को सिफारिश करने या सुझाव देने से बचना चाहिए।

यह पाबंदी उस कंपनी के मूल्यों से संबंधित है जिसका यह व्यक्ति सहयोगी है, साथ ही किसी अन्य सूचीबद्ध कंपनी के मूल्यों से भी संबंधित है जिसके बारे में वह आंतरिक जानकारी रखता है।

इस निषेध का अनुपालन करने में विफलता, संदर्भ के आधार पर, जिसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है, और/या इनसाइडर डेटा ब्रीच कहा जाता है, एक दंडनीय अपराध बन सकती है और वित्तीय बाज़ार प्राधिकरण द्वारा जुर्माना लगाया जा सकता है।

- *कंपनी के डिजिटल टूल का उपयोग*

आईटी, यानि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क और उसमें मौजूद जानकारी, हमारे व्यवसाय की सफलता में एक महत्वपूर्ण कारक है।

कंपनी के आईटी संसाधनों का उपयोग जिम्मेदारी से और केवल वैध उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए।

ऐसा करने के लिए, प्रत्येक कर्मचारी को अपनी इकाई के आईटी चार्टर को पढ़ना होगा जो उन्हें उपलब्ध कराए गए आईटी संसाधनों के उचित उपयोग को नियंत्रित करता है और इसका अनुपालन करना चाहिए।

क्या करना चाहिए

- जैसे ही आप अपना कंप्यूटर छोड़कर जाएं, अपना सत्र **लॉक कर दें।**
- नियमित रूप से **सूचित रहें** और अपनी कंपनी द्वारा दिए गए प्रशिक्षण का पालन करें, विशेष रूप से साइबर सुरक्षा के संदर्भ में।
- केवल अपने आईटी विभाग द्वारा उपलब्ध या सुझाए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और एप्लिकेशन का **उपयोग करें।**
- अपने आईटी विभाग के निर्देशों के अनुसार, अपनी कंपनी के कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने के लिए अपना पासवर्ड **अपडेट करें।**

क्या नहीं करना चाहिए

- किसी संदिग्ध या अनचाही ईमेल में मौजूद अटैचमेंट या लिंक **खोलना।**
- अपने निजी कंप्यूटर या फ़ोन पर ऑफिस की फ़ाइलें या दस्तावेज़ **भेजना।**
- अन्य लोगों को कंपनी के डिजिटल टूल से कनेक्ट करने के लिए अपने पासवर्ड **बताना।**
- किसी गड़बड़ फ़ाइल को **गलती से खोलना या किसी फ़ाइल को बिगाड़ना** और आईटी विभाग को इसकी सूचना न देना।

- *बौद्धिक संपदा का संरक्षण और सम्मान करना*

बौद्धिक संपदा के तहत संरक्षित समूह की संपत्तियों में आविष्कार, जानकारी, डिजाइन, सॉफ्टवेयर, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, एप्लिकेशन और किसी तीसरे पक्ष द्वारा विशेष रूप से **ENGIE** को प्रदान की गई या समूह के लिए अपने मिशन के हिस्से के रूप में **ENGIE** कर्मचारियों द्वारा बनाई गई कोई भी जानकारी शामिल है।

ये संपत्तियां और उनकी सुरक्षा हमारे व्यवसाय को प्रभावी ढंग से संचालित करने और हमारे व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की हमारी क्षमता में योगदान करती हैं।

- *कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा करना*

समूह की इकाईयों की संपत्ति का उपयोग केवल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए, वैध शर्तों के तहत और प्राप्त करने या उपयोग के लिए अनुमति के दायरे में रहकर किया जाना चाहिए।

हरेक कर्मचारी इस विरासत की सुरक्षा और संवर्द्धन सुनिश्चित करता है, इसे नुकसान पहुंचाने से बचाता है और यह सुनिश्चित करता है कि इसका धोखाधड़ीपूर्ण उपयोग न किया जाए।

यह नियम मूर्त संपत्ति (संपत्ति, परिसर, उपकरण, आपूर्ति, आदि) के साथ-साथ अमूर्त संपत्ति (पेटेंट, सूचना, छवि, सॉफ्टवेयर, ब्रांड, प्रतिष्ठा, व्यापार रहस्य, आदि) पर भी लागू होता है।

अगर कोई कर्मचारी यह देखता है कि सुरक्षात्मक उपाय अपर्याप्त हैं, तो उसे अपने प्रबंधक को सचेत करना चाहिए।

चोरी करने या चोरी का प्रयास करने, हैकिंग, जासूसी, तोड़फोड़ या क्षति की स्थिति में भी उसे इसी तरह से कार्य करना चाहिए।

क्या करना चाहिए

- **सुनिश्चित करें** कि समूह की परिसंपत्तियों की सुरक्षा हो और/या आवश्यक संपत्ति के अधिग्रहण और हमारे अनुबंधों में परिचालन अधिकारों को सक्षम करने वाले संविदात्मक खंड बरकरार रहें।
- **सुनिश्चित करें** कि बौद्धिक संपदा अधिकारों (ब्रांड, कॉपीराइट, सॉफ़्टवेयर, डेटाबेस, पेटेंट इत्यादि) द्वारा संरक्षित तृतीय-पक्ष सामग्री का उपयोग करने से पहले आपके पास आवश्यक अनुमतियां हों।
- **यदि आपको कोई संदेह** या प्रश्न है, तो कानूनी सेवाओं से संपर्क करें।

क्या नहीं करना चाहिए

- बिना अनुमति के पेटेंट और कॉपीराइट (फोटो, लोगो, चित्र, टेक्स्ट या अन्य सामग्री) का **उपयोग करना** और दूसरों के ट्रेडमार्क, अध्ययनों, परियोजनाओं या प्रकाशनों की नकल या साहित्यिक चोरी में शामिल होना।
- किसी नवाचार के संरक्षण तंत्र को सुनिश्चित किए बिना उस नवाचार को **हटा देना।**
- उपयोग की शर्तों के पूर्व सत्यापन के बिना तीसरे पक्ष की सामग्री (फोटो, टेक्स्ट, वीडियो, नवाचार इत्यादि) की **प्रतिलिपि बनाना**, चाहे वह सार्वजनिक हो या नहीं।

- *तीसरे पक्षों के साथ संचार: निवेशक, विश्लेषक, मीडिया, सामाजिक नेटवर्क*

अपने संचार में, समूह की इकाईयां यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती हैं कि प्रदान की गई जानकारी सटीक, पूर्ण, उचित, समझने योग्य और समय पर प्रकाशित हो और गोपनीयता नियमों का अनुपालन करे।

हम अपनी कंपनी के बारे में जो कुछ भी संचार करते हैं वह हमारी प्रतिष्ठा, हमारे सहयोगियों और हमारे ब्रांड पर प्रभाव डाल सकता है। यही कारण है कि **ENGIE** के प्रबंधक के अलावा, केवल उनके विधिवत अधिकृत व्यक्ति ही उनकी ओर से बोल सकते हैं।

एक कर्मचारी जो समूह गतिविधि से संबंधित किसी विषय पर सार्वजनिक रुप से बोलना, प्रकाशित करना या साक्षात्कार का जवाब देना चाहता है, उसे किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा ऐसा करने के लिए अधिकृत किया जाना चाहिए (नियमों द्वारा परिभाषित विशेष परिस्थितियों को छोड़कर)।

कोई भी गैर-प्राधिकृत कर्मचारी स्वयं को स्वतंत्र रुप से अभिव्यक्त कर सकता है, बशर्ते वे पहले से निर्दिष्ट करें कि वे अपने व्यक्तिगत नाम से बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, न कि **ENGIE** के नाम पर।

वह इस बात का विशेष ध्यान रखेगा कि वह किसी पक्षपातपूर्ण स्थिति में शामिल न हो, न ही अपनी राय का समर्थन करने के लिए अपने पद का ग़लत उपयोग करे। वह अपने नाम से बात करते समय, समूह की गोपनीय जानकारी प्रकट करने पर लगी पाबंदी का अनुपालन भी सुनिश्चित करेगा।

किसी भी अभिव्यक्ति को लागू कानूनों और नियमों का सम्मान करना चाहिए और हरेक मनुष्य के लिए सम्मान के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, अभिव्यक्ति का माध्यम चाहे जो कुछ भी हो।

जब मैं सोशल नेटवर्क पर लेख देखता हूं, जो मेरी राय में, हमारे समूह के कार्यों को ठीक से प्रस्तुत नहीं करते हैं, **तो क्या मैं अपने समूह पर सही जानकारी देने के लिए सामाजिक नेटवर्क पर सूचना का आदान -प्रदान कर सकता हूं?**

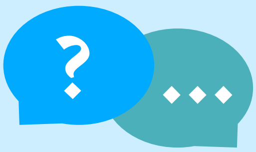

प्रश्न - उत्तर

इस तरह की स्थिति के संपर्क में आने का सही तरीका यह है कि आप अपने प्रबंधक और संचार के प्रभारी व्यक्तियों को सूचित करें ताकि आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका निर्धारित किया जा सके।

आप ENGIE के नाम पर अपना नाम प्रकाशित नहीं कर सकते; यह दायित्व हमारी कंपनी की ओर से संवाद करने के लिए विधिवत तय किए व्यक्तियों का है।

तीसरे पक्षों के साथ हमारे संबंधों में ईमानदारी और वफादारी

ENGIE तीसरे पक्षों के साथ, और विशेष रुप से सरकारी प्राधिकरणों के साथ अपनी बातचीत में ईमानदारी और वफादारी को सर्वोपरि रखता है।

◆ वाणिज्यिक सलाहकार या कुछ मध्यस्थ: *असाधारण परिस्थितियों में और आवश्यकता होने पर सतर्कता बढ़ाने के लिए सहायता लेना*

वाणिज्यिक सलाहकारों का उपयोग असाधारण परिस्थितियों में होना चाहिए और केवल तभी जब मांगी गई सेवा को आंतरिक रुप से नहीं किया जा सकता हो।

वाणिज्यिक सलाहकार के साथ किसी भी संबंध को समूह की **वाणिज्यिक सलाहकारों** की **नीति का पूरी तरह से सम्मान करना चाहिए**, जिसका उद्देश्य धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार के किसी भी कार्य को रोकना है।

विशेष रुप से, किसी भी संविदात्मक संबंध से पहले, अनुबंध निष्पादित होने की अनुमति देने और **किसी भी भुगतान से पहले सेवाओं** की वास्तविकता जानने और व्यवस्थित सत्यापन करने के लिए **पूरी जांच-पड़ताल** करना। यही कुछ बिचौलियों के लिए भी लागू होता है।

क्या करना चाहिए

- वाणिज्यिक सलाहकार की **मदद केवल तभी लें** जब सेवा को आंतरिक रुप से पूरा करना असंभव हो।
- अपने किसी भी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले हरेक भावी वाणिज्यिक सलाहकार की **पूरी जांच-पड़ताल करें**
- **उल्लंघन या गैर-अनुपालनात्मक कार्रवाई की स्थिति में** , तुरंत अपने वाणिज्यिक संबंध समाप्त कर दें, कोई भी भुगतान करने से इंकार कर दें और इसके खिलाफ किसी संभावित कानूनी कार्रवाई पर विचार करें।
- अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले सुनिश्चित करें **सुनिश्चित करें** कि अगर भावी वाणिज्यिक सलाहकार किसी सार्वजनिक प्राधिकरण से जुड़ा हुआ है।
- भावी वाणिज्यिक सलाहकार के साथ वाणिज्यिक संबंध को **मेरी पदानुक्रमित पंक्ति के उच्चतम स्तर की** मंज़ूरी मिली होनी चाहिए
- **अपने किसी भी भुगतान से पहले,** वाणिज्यिक सलाहकार की सेवाओं की प्रभावशीलता, पूर्णता और अनुरुपता की पुष्टि करें, थोड़ा सा भी संदेह होने पर कोई भी भुगतान करने से इनकार कर दें

क्या नहीं करना चाहिए

- जब सेवा **आंतरिक रुप से की जा सकती हो** तब भी किसी वाणिज्यिक सलाहकार का उपयोग करना।
- एक वाणिज्यिक सलाहकार के साथ यह सुनिश्चित किए बिना **काम करना** कि सलाहकार पर कोई विवाद या सवाल तो नहीं है, खासकर ईमानदारी के मामले में।
- किसी तीसरे पक्ष द्वारा की गई या किसी तीसरे पक्ष द्वारा थोपी गई सिफारिश के आधार पर ही किसी व्यावसायिक सलाहकार के साथ काम करने के लिए **सहमत होना।**
- किसी अनुबंध के बिना या ऐसे अनुबंध के तहत एक वाणिज्यिक सलाहकार का **उपयोग करना** जो समूह की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता हो।
- सेवा की वास्तविकता को सत्यापित किए बिना या चालान के बिना एक वाणिज्यिक सलाहकार को **भुगतान करना।**

◆ सरकारी प्राधिकरणों के साथ पारदर्शिता रखना

सरकारी प्राधिकरणों के साथ अपने संबंधों में हमें **पारदर्शी** और **ईमानदार होना चाहिए।**

यह सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों पर लागू होता है, चाहे वे पर्यवेक्षी, नियामक या न्यायिक प्राधिकारी हों।

ENGIE एक नागरिक समूह है। यही कारण है कि **ENGIE** हमेशा ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करने और **लागू कर कानूनों** और नियमों का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। **ENGIE** उन देशों में करों का अपना उचित हिस्सा चुकाता है जहां वह अपनी कानूनी निश्चितता बढ़ाने और अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही की भावना से कर अधिकारियों के साथ काम करता है और रचनात्मक संबंध बनाए रखता है।

समूह कर स्थिति के लिए तुक्का नहीं लगाता है जो कर जोखिम पैदा करता है, न ही यह इस तरह से अपने संचालन को नहीं दिखाता है जो उनकी आर्थिक वास्तविकता को प्रतिबिंबित नहीं करता हो।

जब **ENGIE** ऊर्जा प्रणाली, अपनी विशेषज्ञता और अपनी संभावित परियोजनाओं के बारे में संस्थागत अभिनेताओं, सरकार के सदस्यों, सांसदों और स्थानीय निर्वाचित अधिकारियों के साथ अपना दृष्टिकोण साझा करता है, तो यह नैतिक तरीके से ऐसा करता है। अपनी **लॉबीइंग** गतिविधियों के हिस्से के रुप में, इन पदों का उद्देश्य सामान्य हित और समूह के हित का सम्मान करते हुए सार्वजनिक निर्णय लेने की जानकारी देना है।

ENGIE लॉबिंग **गतिविधियों के लिए जिम्मेदार अपने कर्मचारियों या तीसरे पक्षों से** अपनी ओर से पारदर्शी तरीके से और हितों के टकराव, रोकथाम और भ्रष्टाचार या लालच देकर पद का दुरुपयोग करने के लिए उकसाने के खिलाफ लड़ाई लड़ने के संबंध में हमारे सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए कार्य करने के लिए कहता है।

समूह **राजनीतिक गतिविधियों के किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वित्तपोषण** पर प्रतिबंध लगाता है, जिसमें वे देश भी शामिल हैं जहां ऐसा वित्तपोषण कानून द्वारा अधिकृत और विनियमित है।

◆ संरक्षण, प्रायोजन और साझेदारी

इसलिए **ENGIE**, जहां उपयुक्त हो, सार्वजनिक प्राधिकारियों के साथ मिलकर, मुसीबत में पड़ी जनता के साथ **कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए** एक सक्रिय नीति अपनाता है।

समूह उनकी पहलों का समर्थन करने की दृष्टि से सभी संबंधित समुदायों के साथ परामर्श और साझेदारी में **संरक्षण** और **प्रायोजन** कार्य भी करता है।

अपने हितधारकों के साथ रचनात्मक संबंधों के विकास से बहुत जुड़ा हुआ, समूह पर्यावरण और मानवीय क्षेत्रों में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के साथ **निरंतर बातचीत** और **साझेदारी** बनाए रखता है।

हम अपने कर्मचारियों की **व्यक्तिगत नागरिक** और **सहयोगी प्रतिबद्धताओं** और परियोजनाओं को भी प्रोत्साहित करते हैं। संरक्षण और साझेदारी की कार्रवाईयां, समूह की प्रायोजन और साझेदारी नीति के ढांचे के भीतर अधिकृत हैं। वे एक **नागरिक** के तौर पर एवं सामाजिक रूप से ज़िम्मेदार दृष्टिकोण प्रदर्शित करते हैं।

हम अपने कार्यों के लाभार्थियों की नैतिक गुणवत्ता को लेकर बहुत सतर्कता बरतते हैं।

ऐसी पहलों से हितों के टकराव की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए या हमारी फंडिंग का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और इन्हें हमारी नैतिक आचार संहिता के नियमों के अनुसार कड़ाई से एक ढांचे के भीतर किया जाता है।

क्या करना चाहिए

- **सुनिश्चित करें** कि वित्तीय योगदान गैर-पक्षपातपूर्ण हो।
- **ENGIE** नियमों के अनुपालन में किसी भी संविदात्मक संबंध से पहले संरक्षण/प्रायोजन के लाभार्थी की **पूरी जांच-पड़ताल करें।**
- प्रायोजन गतिविधि के हिस्से के रूप में उपलब्ध कराए गए धन के उपयोग की निगरानी करें और उनका उचित आवंटन **सुनिश्चित करें।**
- किसी भी दान को एक लिखित अनुबंध के ढांचे के भीतर **औपचारिक रूप दें** जिसमें अन्य बातों के अलावा, समूह का नैतिकता खंड शामिल हो।

क्या नहीं करना चाहिए

- वास्तविक लाभार्थी को जाने बिना प्रायोजन **कार्रवाई करना।**
- निविदा या अनुबंध नवीनीकरण के लिए बोली निकलने के दौरान दान करना या प्रायोजन कार्रवाई में**शामिल होना।**
- किसी कार्रवाई में पेशेवर रूप से **शामिल होना**, भले ही अप्रत्यक्ष रूप से, जो राजनीतिक पद लेने के समान हो सकता है।
- **ENGIE** को लाभ प्रदान करने के लिए किसी तीसरे पक्ष को प्रभावित करने के उद्देश्य से **दान करना।**

संबंधित दस्तावेज़

■ लॉबिंग आचार संहिता समूह की वेबसाइट के नैतिकता और अनुपालन **पेजों पर** एक्सेस की जा सकती है और समूह कर्मचारियों के लिए समूह इंट्रानेट के नैतिकता और अनुपालन **पेजों पर एक्सेस की जा सकती है**।

■ इंटीग्रिटी फ्रेमवर्क समूह की वेबसाइट के नैतिकता और अनुपालन पेजों पर एक्सेस की जा सकती है और समूह कर्मचारियों के लिए समूह इंट्रानेट के नैतिकता और अनुपालन पेजों पर एक्सेस की जा सकती है।

■ संरक्षण और प्रायोजन के संदर्भ में उचित जांच-पड़ताल नीति समूह की वेबसाइट केनैतिकता और अनुपालन पेजों पर एक्सेस की जा सकती है और समूह कर्मचारियों के लिए समूह इंट्रानेट के नैतिकता और अनुपालन पेजों पर एक्सेस की जा सकती है।

मानवाधिकारों का सम्मान

मानवता के लिए सम्मान **ENGIE** के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है।

यही कारण है कि समूह जहां भी मौजूद होता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकारों के अनुपालन में अपनी गतिविधियों को चलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

◆ एक सम्मानजनक और समावेशी काम का माहौल बनाना

सम्मान करते हुए, ENGIE कार्यस्थल पर सम्मानजनक और सामंजस्यपूर्ण मानवीय संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करता है।

यह सभी की जिम्मेदारी है कि सभी कर्मचारियों को सौहार्दपूर्ण माहौल में, अच्छी शारीरिक और नैतिक परिस्थितियों में काम करने का मौका मिले। समूह कार्यस्थल पर जीवन की गुणवत्ता पर सबसे अधिक ध्यान देता है। सम्मान और विश्वास के माध्यम से कर्मचारियों के बीच संबंधों के साथ-साथ, सामाजिक भागीदारों के साथ संवाद की दिशा में काम करना चाहिए।

व्यावसायिक संबंधों को पदानुक्रमित पदों की परवाह किए बिना एक-दूसरे के प्रति सम्मान द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। यह सिद्धांत हमारे तीसरे पक्षों के साथ संबंधों को भी नियंत्रित करता है। उन्हें **ENGIE** के सिद्धांतों और प्रतिबद्धताओं के अनुसार, अपने कर्मचारियों को सभ्य कामकाजी परिस्थितियाँ प्रदान करनी होंगी।

समावेशी, हमारा **समूह** सभी प्रकार के **भेदभाव** एवं बहिष्कार पर रोक लगाता है।

प्रत्येक व्यक्ति की **विविधता** और निजी पसंद का सम्मान करते हुए, समूह इन्हें अपने कर्मचारियों की क्षमता की तुलना में सर्वोपरि मानता है।

हरेक **ENGIE** कर्मचारी यह सुनिश्चित करता है कि वे कोई भेदभाव नहीं करते हैं, विशेष रूप से उम्र, लिंग, जातीय, सामाजिक या सांस्कृतिक मूल, धर्म, राजनीतिक राय या संघ गतिविधियों, यौन अभिविन्यास या लिंग, गर्भावस्था, स्वास्थ्य की स्थिति या विशेष भेद्यता, शारीरिक विशेषताएँ या अक्षमताएँ से जुड़े भेदभाव में शामिल नहीं होते हैं।

'**समान अवसर**, **निष्पक्षता**, **विविधता** और **समावेशन** हमारी सभी गतिविधियों का हिस्सा हैं, ये हर किसी की ज़िम्मेदारी हैं। वे समूह को विभिन्न मूल, संस्कृतियों, विचारों या अनुभवों से लोगों को जुड़ने और साथ में जोड़े रखने और काम पर सहयोग की संस्कृति बनाने और विकसित करने की अनुमति देते हैं जो हमारे लिए विशिष्ट है।

समूह लिंग, आयु, जातीय या सामाजिक मूल, विकलांगता या यौन अभिविन्यास से जुड़ी धारणा में अंतर को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है।

जानकारी

विविधता, समानता और समावेशन नीति समूह की वेबसाइट के सीएसआर पेजों पर दी गई है और समूह इंट्रानेट के मानव संसाधन विभाग पेजों पर समूह के कर्मचारी इसे एक्सेस कर सकते हैं।

◆ हिंसा, नैतिक या यौन उत्पीड़न और लैंगिक व्यवहार के खिलाफ लड़ना

प्रत्येक कर्मचारी सभी प्रकार की **हिंसा** और **उत्पीड़न** से दूर रहता है, चाहे वह **अनैतिक** हो या **यौनाचार**।

नैतिक उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न और लैंगिक व्यवहार,, जो इस हिंसा का एक रूप हैं, हमारे **समूह**के भीतर अस्वीकार्य हैं।

स्वस्थ, सम्मानजनक, देखभाल और सहायक पेशेवर माहौल की गारंटी देने और कार्यस्थल पर उत्पीड़न से संबंधित सभी व्यवहारों और कृत्यों की निंदा करने के लिए, कार्यस्थल पर उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई में शामिल होना हर किसी का दायित्व है।

एक सहकर्मी को नियमित रूप से टीम के एक सदस्य से **यौन प्रकृति की टिप्पणियाँ प्राप्त होती हैं** विशेषकर उसके कपड़े पहनने के तरीके के बारे में।
ज़ाहिर है, इस सहकर्मी में **प्रतिक्रिया देने** या **अपने प्रबंधक को सूचित करने की हिम्मत नहीं है।**
टीम के कुछ लोग इसे मज़ाक समझते हैं और मानते हैं कि यह कोई गंभीर बात नहीं है।

ऐसे में क्या करें?

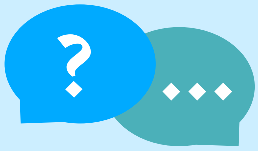

प्रश्न - उत्तर

इस व्यवहार को **यौन उत्पीड़न** माना जाता है। यौन उत्पीड़न अपमानजनक है और किसी भी तरह से "मज़ाक का विषय" नहीं है।
हर किसी को सम्मान, शालीनता और विचार के साथ पेशेवर रूप से गरिमा बनाए रखने का अधिकार है।

किसी प्रबंधक या अपने **नैतिकता एवं अनुपालन अधिकारी**से बात करने में संकोच न करें।
यदि आपकी संस्था में «**référent sexisme**» या यौन उत्पीड़न होता है, तब भी आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। हर कोई कार्यस्थल पर एक ज़िम्मेदार, सम्मानजनक और शांतिपूर्ण माहौल बहाल करने के लिए कार्य करेगा।

यदि इसके बारे में आंतरिक तौर पर बात करना कठिन हो तो ग्रुप की अलर्ट लाइन से संपर्क करें।

◆ जबरन श्रम और बाल श्रम पर प्रतिबंध

ENGIE किसी भी प्रकार के **जबरन श्रम** या **बाल श्रम को मना करता है**। **सभी परिस्थितियों में**, और **सभी स्थानों पर**, प्रत्येक कर्मचारी को, अपने मिशन के ढांचे के भीतर **इस सिद्धांत को बनाए रखना चाहिए**।

ENGIE को उम्मीद है कि **उसके सभी तीसरे पक्ष इस सिद्धांत का सम्मान करेंगे।**

◆ संघ की स्वतंत्रता का सम्मान

ENGIE कर्मचारियों के यूनियन बनाने और उसमें शामिल होने और **लागू कानूनों के ढांचे के भीतर** सामूहिक रूप से बातचीत करने के अधिकार का सम्मान करता है।

◆ स्थानीय समुदायों के अधिकारों का सम्मान

समूह परियोजनाओं और उनकी **प्रगति के चरण की परवाह किए बिनास्थानीय समुदायों पर** अपनी गतिविधियों के संभावित परिणामों का नियमित रूप से आकलन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

यह सुनिश्चित करता है कि बातचीत के संदर्भ में स्थानीय समुदायों और अधिक व्यापक रूप से सभी हितधारकों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखा जाए।

संबंधित दस्तावेज़

- मानवाधिकार नीति **ENGIE** सतर्कता योजना और यौन उत्पीड़न और लैंगिक व्यवहार के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शिका समूह की वेबसाइट के नैतिकता और अनुपालन पेजों पर दी गई है और समूह इंट्रानेट के नैतिकता और अनुपालन पेजों पर समूह के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है।

- विविधता और समावेशन तथा स्वास्थ्य और सुरक्षा नीतियों के बारे में समूह की वेबसाइट पर भी परामर्श लिया जा सकता है और ये समूह के इंट्रानेट पर कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हैं।

पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता

ENGIE पर्यावरण, उसके संरक्षण और सतत विकास को विशेष महत्व देता है।

ENGIE की **कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) नीति** का उद्देश्य पर्यावरण की चिंताओं पर गंभीरता से विचार करना, अपनी कार्रवाई को मायने देना, उपभोग के दूसरे तरीके को बढ़ावा देना और एक ज़िम्मेदार समुदाय में अहम भूमिका निभाना है।

समूह की महत्वाकांक्षा ऊर्जा और सेवाओं को प्रगति और सामंजस्यपूर्ण विकास का स्रोत बनाना है: ऊर्जा अधिक से अधिक लोगों के लिए सुलभ, सुरक्षित बने, बेहतर खपत हो, लोगों और उनके पर्यावरण के प्रति अधिक अनुकूल हो।

वर्तमान और भावी पीढ़ियों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक, समूह सतत विकास के सिद्धांतों का सम्मान करते हुए अपनी रणनीति परिभाषित करता है और अपने उद्देश्य निर्धारित करता है और अपने परिणामों की रिपोर्ट करता है। अपनी गतिविधियों के प्रभावों के बारे में सतर्क, समूह अपनी पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं को अपने भागीदारों, अपने आपूर्तिकर्ताओं और, जहां लागू हो, अपने द्वारा प्रबंधित सुविधाओं के मालिकों के साथ साझा करने का इच्छुक है।

ENGIE यह सुनिश्चित करता है कि उसके साझेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों की सामाजिक और पर्यावरणीय प्रथाएं उसकी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हों। अपने स्थानीय संबंधों और इसके सकारात्मक प्रभाव को मजबूत करने के लिए सामुदायिक संघों के साथ सक्रिय रुप से सहयोग करते हुए, समूह, समाज और पर्यावरण पर अपने प्रभाव का आकलन और सुधार करने के लिए सीएसआर प्रभाव अध्ययन आयोजित करता है।

इसके अलावा, सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए समूह, सबसे उपयुक्त तरीकों और तकनीकों का उपयोग करता है।

यह गुणवत्ता और सुरक्षा, सामग्रियों की पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण, प्राकृतिक संसाधनों की बचत और उपद्रवों में कमी से संबंधित जानकारी विकसित करने के लिए अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करता है।

समूह की महत्वाकांक्षा ऊर्जा और सेवाओं को प्रगति और सामंजस्यपूर्ण विकास का स्रोत बनाना है: ऊर्जा अधिक से अधिक लोगों के लिए सुलभ, सुरक्षित बने, बेहतर खपत हो, लोगों और उनके पर्यावरण के प्रति अधिक अनुकूल हो।

क्या करना चाहिए

- **समूह** के सीएसआर मैट्रिक्स के अनुसार **समूह की सभी निवेश परियोजनाओं के लिए** सीएसआर विश्लेषण **करना**।
- दो दृष्टिकोणों के आधार पर **हमारे ग्राहकों को उनकी डीकार्बोनाइजेशन रणनीति में सहायता करना**: कम ऊर्जा खपत और अधिक कार्बन-मुक्त ऊर्जा खपत।
- हमारे तीसरे पक्षों को **ENGIE** समूह के सतत विकास सिद्धांतों को**अपनाने के लिए कहना**, विशेष रुप से हमारे अनुबंधों में समूह की नैतिकता और सतर्कता खंड को शामिल करके।
- हमारी गतिविधियों के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रदर्शन के बारे में **हमारे हितधारकों को बताना।**

क्या नहीं करना चाहिए

- **पर्यावरणीय प्रभाव** का अध्ययन करने में असफल होना, विशेष रुप से उच्च स्तर जोखिम पेश करने वाली परियोजनाओं पर।
- हमारे आपूर्तिकर्ताओं से विशेष रुप से पर्यावरण और मानवाधिकार मामलों में **ENGIE** समूह के सिद्धांतों के विपरीत व्यवहार **स्वीकार करना।**
- परियोजनाओं पर सामाजिक प्रभाव का अध्ययन करने या हितधारकों के साथ संवाद योजना स्थापित करने में **विफल होना।**
- अन्य पर्यावरणीय और सामाजिक आयामों के साथ अंत:क्रियाओं की अनदेखी करते हुए केवल पर्यावरणीय मुद्दे का **विश्लेषण करना।**

संबंधित दस्तावेज़

- **सीएसआर** नीति और संबंधित नीतियां समूह की वेबसाइट के सीएसआर **पेजों पर उपलब्ध हैं** और समूह के कर्मचारियों के लिए **समूह के इंट्रानेट के सीएसआर पृष्ठों पर उपलब्ध हैं**।
- **ENGIE** की सतर्कता योजना, समूह की वेबसाइट के नैतिकता और अनुपालन **पेजों पर** एक्सेस **की जा सकती है और समूह** कर्मचारियों के लिए समूह इंट्रानेट के नैतिकता और अनुपालन **पेजों पर एक्सेस की जा सकती है**।

हमारे कार्य

नैतिकता के लिए काम करना और प्रतिबद्ध होना एवं भ्रष्टाचार न करना हर किसी की ज़िम्मेदारी है

ENGIE समूह अपनी नैतिक प्रतिबद्धता का उच्चतम स्तर तक पालन करता है, यह सभी प्रबंधकीय और कार्यात्मक स्तरों पर लागू होती है और समूह के नीतिगत शासन के माध्यम से प्रतिबिंबित की जाती है।

◆ निदेशक और प्रबंधक:

ENGIE के निदेशक और प्रबंधक, नैतिक आचार संहिता और कर्मचारियों द्वारा इसके दैनिक अनुपालन के प्राथमिक प्रवर्तक हैं। वे हमारे सिद्धांतों के अनुपालन की मिसाल हैं और सब लोगों तक इन्हें पहुंचाते हैं।

सभी स्तरों पर, हमारे संगठन के निदेशक और प्रबंधक इसे बढ़ावा देते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि उनके कर्मचारी व्यावहारिक और ठोस तरीके से इन सिद्धांतों और नियमों का सम्मान करें।

शक्तियों के प्रत्यायोजन और मिशन वक्तव्य के माध्यम से, समूह की सभी संस्थाओं में नैतिकता, अनुपालन और गोपनीयता की नीतियों को लागू कराना हरेक प्रबंधक की प्रतिबद्धता पर आधारित है।

इस प्रबंधकीय प्रतिबद्धता को समूह के निदेशक मंडल का समर्थन प्राप्त है, जो अपनी नैतिकता, पर्यावरण और सतत विकास समिति (सीईईडीडी) के माध्यम से समूह की नैतिकता, अनुपालन और गोपनीयता दृष्टिकोण के लिए भी प्रतिबद्ध है।

इसी तरह, समूह के महासचिव की अध्यक्षता में समूह की अनुपालन समिति, अपनी नैतिक प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन का अनुपालन सुनिश्चित करती है, नैतिकता प्रणाली के विकास की निगरानी करती है, नैतिक कमज़ोरियों की निगरानी करती है और उनका समाधान किया जाना भी सुनिश्चित करती है।

◆ संगठन की नैतिकता, अनुपालन एवं गोपनीयता

- *नैतिकता, अनुपालन और गोपनीयता विभाग*

कानूनी विभाग के अंतर्गत, समूह का नैतिकता, अनुपालन और गोपनीयता विभाग ("डीईसीपी") समूह की रणनीति, प्रबंधन और तौर-तरीकों में नैतिकता के एकीकरण को प्रबंधित करता है।

यह नैतिकता और अनुपालन के संबंध में नीतियों और प्रक्रियाओं के प्रस्ताव रखता है। यह सभी स्तरों पर उनका कार्यान्वयन होना सुनिश्चित करता है।

यह सुनिश्चित करता है कि **ENGIE** की ख़ास गतिविधियों को विशेष ध्यान में रखते हुए नैतिक जोखिमों की मैपिंग की जाए। मैपिंग विशेष रुप से भ्रष्टाचार के जोखिम से संबंधित है।

समूह के अन्य नियंत्रण निकायों के साथ, यह प्रशिक्षण को विकसित और प्रसारित करता है, रिपोर्ट और अलर्ट प्राप्त करता है और जहां उपयुक्त हो वहां गतिविधियों का नियंत्रण करता है।

इस प्रकार, **DECP** भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रम के कार्यान्वयन, मानवाधिकारों का सम्मान करने के लिए **ENGIE** के दृष्टिकोण, समूह के व्यक्तिगत डेटा कार्यक्रम और निगरानी योजना के कार्यान्वयन का समन्वय करता है। पूरे समूह में, यह **नैतिकता और अनुपालन अधिकारियों और डेटा गोपनीयता प्रबंधकों** की पंक्ति का नेतृत्व करता है।

- *नैतिकता और अनुपालन क्षेत्र - डेटा गोपनीयता क्षेत्र*

नैतिकता और अनुपालन क्षेत्र, सभी नैतिकता और अनुपालन अधिकारियों के साथ-साथ समूह की संस्थाओं के सभी नैतिकता संवाददाताओं को एक साथ जोड़ता है। गोपनीयता क्षेत्र, समूह के सभी डेटा गोपनीयता प्रबंधकों को एक साथ जोड़ता है।

इन दोनों क्षेत्रों का संचालन नैतिकता, अनुपालन और गोपनीयता विभाग करते हैं।

अपने दायरे में आने वाली समूह की सभी नैतिक नीतियों, प्रक्रियाओं और सिद्धांतों के प्रभावी और परिचालन अनुप्रयोग को लागू कराना और सुनिश्चित करना नैतिकता एवं अनुपालन अधिकारियों का दायित्व है।

डेटा गोपनीयता प्रबंधक, व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा पर समूह नीति को लागू करने और अपने दायरे में व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा से जुड़ी गतिविधियों का समन्वय करने के लिए ज़िम्मेदार हैं।

नैतिकता और अनुपालन अधिकारी और डेटा गोपनीयता प्रबंधक को पूर्ण स्वतंत्रता में, अपने मिशन के निष्पादन के लिए उचित और आनुपातिक मानव और बजटीय संसाधन उपलब्ध होने चाहिए।

इस स्वतंत्रता की गारंटी नैतिकता और डेटा गोपनीयता क्षेत्र के लिए ज़रूरी है।

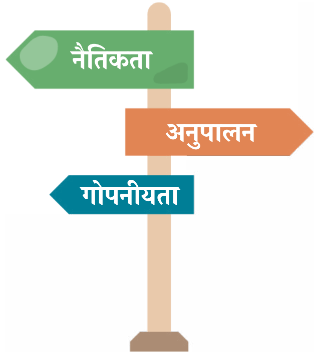

अनुपालन जांच करना

समूह का प्रत्येक विभाग और परिचालन इकाईयाँ, **ENGIE** की सभी नैतिक नीतियों और सिद्धांतों (लेखा नियंत्रण सहित स्तर 1 अनुपालन नियंत्रण) के कार्यान्वयन की जांच करती है।

नैतिकता, अनुपालन और गोपनीयता विभाग, निरंतर सुधार प्रक्रिया (स्तर 2 अनुपालन नियंत्रण) के हिस्से के रूप में समूह की संपूर्ण नैतिकता प्रणाली के कार्यान्वयन का नियमित रूप से मूल्यांकन और निगरानी करता है। इस संदर्भ में, यह समूह की नैतिकता प्रणाली की बाहरी ऑडिट प्रक्रियाएं भी शुरू करता है।

नैतिकता, अनुपालन और गोपनीयता विभाग की यह कार्रवाई समूह के अन्य विभागों की जांच गतिविधियों की पूरक है और उन पर निर्भर करती है, जहां लागू हो। इनमें आंतरिक नियंत्रण विभाग (स्तर 2 अनुपालन जांच) और आंतरिक ऑडिट विभाग (स्तर 3 अनुपालन जांच) द्वारा की गई जांच शामिल है।

इन जांचों के दौरान पहचानी गई विफलताएँ या कमियाँ इन विभागों या नैतिकता, अनुपालन और गोपनीयता विभाग द्वारा अपनाई जाने वाली एक कार्य योजना को जन्म देती हैं।

अनुपालन के परिचालन का तौर-तरीका, "अनुपालन करें या समझाएं" के सिद्धांत पर आधारित है। किसी भी समय, नीति को लागू करने के लिए अपने कार्यों को समझाने और उचित ठहराने में सक्षम होना प्रत्येक परिचालन स्तर का दायित्व है।

सूचना देना, ट्रेनिंग देना और रोकथाम करना

◆ ट्रेनिंग देना

प्रत्येक कर्मचारी, प्रबंधक और भ्रष्टाचार के जोखिमों से सबसे अधिक प्रभावित लोगों को खुद को सूचित करना चाहिए, खुद को प्रशिक्षित करना चाहिए और उनके लिए ख़ासतौर पर बनाए गए ज़रूरी ट्रेनिंग मॉड्यूल का पालन करना चाहिए।

सभी कर्मचारियों को अनैतिक स्थितियों की पहचान करने, रोकने और उनसे निपटने में मदद करने के लिए, समूह ने नैतिकता और विशेष रूप से धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के जोखिमों के लिए ख़ासतौर पर एक प्रशिक्षण प्रणाली स्थापित की है।

उपयोगी जानकारी

◆ प्रत्येक कर्मचारी को, अपनी भूमिका के आधार पर, उनके लिए ख़ासतौर पर तैयार किए गए नैतिकता प्रशिक्षण का पालन करना चाहिए।
यह अपने सभी कर्मचारियों को नैतिक मुद्दों पर प्रशिक्षित करने की ENGIE की व्यक्तिगत प्रतिबद्धता का हिस्सा है:

- **100% ग्लोबल लीडर;**
- **100% कोमेक्स;**
- **100% मैनेजर्स;**
- **100% वे कर्मचारी जो भ्रष्टाचार के सबसे अधिक जोखिम में हैं।**

◆ हमारे तीसरे पक्षों को जानें

- *नैतिकता से संबंधित पूरी जांच-पड़ताल*

हमारे तीसरे पक्षों की ईमानदारी और प्रतिष्ठा की जानकारी रखना और इसे सुनिश्चित करना हमारी नैतिकता और अनुपालन प्रणाली के प्रमुख तत्वों में से एक है।

हमने वैश्विक स्तर पर नैतिकता से संबंधित पूरी जांच-पड़ताल नीति लागू की है जिससे हम अपने तीसरे पक्ष के जोखिम का आकलन कर पाते हैं।

हमारी उचित पूरी जांच-पड़ताल प्रक्रियाएं हमें यह सुनिश्चित करने में भी सक्षम बनाती हैं कि हमारे संचालन और परियोजनाएं प्रतिबंधों, पाबंदियों और निर्यात नियंत्रण नियमों या कानून का अनुपालन करती हैं।

क्या करना चाहिए

- भावी साझेदार के साथ किसी भी संविदात्मक संबंध से पहले उचित **पूरी जांच-पड़ताल करें।**
- उचित पूरी जांच-पड़ताल के दौरान समूह के लिए सामान्य तृतीय-पक्ष मूल्यांकन कैटलॉग से **परामर्श लेने का ध्यान रखें।**
- **सुनिश्चित करें** कि प्रायोजन और साझेदारी क्रियाएं, प्रायोजन और साझेदारी से संबंधित उचित पूरी जांच-पड़ताल नीति का अनुपालन करती हैं।
- हमारे वाणिज्यिक सलाहकारों की नैतिक जांच-पड़ताल पर **विशेष ध्यान दें** और सुनिश्चित करें कि समूह की वाणिज्यिक सलाहकार नीति के अनुपालन में उनकी अधिक गहन जांच की जाए।
- **सुनिश्चित करें** कि हमारे आपूर्तिकर्ता और उपठेकेदार मानव तस्करी और आधुनिक दासता से संबंधित किसी भी उल्लंघन को रोकें।

क्या नहीं करना चाहिए

- **पता चलना** कि आपके आपूर्तिकर्ता की धोखाधड़ी के लिए कोई जांच चल रही है, और इस बारे में किसी को सूचित न करना या कोई कार्रवाई न करना।
- उचित नैतिक जांच-पड़ताल किए बिना किसी ऐसे व्यक्ति को किसी ऐसे पद पर **भर्ती करना** जिससे भ्रष्टाचार का खतरा हो।
- निजी लाभ के लिए या खुद की ओर से की गई गतिविधियों के दौरान किए गए नैतिक उल्लंघनों के लिए **ऐसा दिखाना** कि केवल हमारे उपठेकेदार या आपूर्तिकर्ता ही जिम्मेदार हैं।
- पहले उचित जांच-पड़ताल किए बिना किसी **ठेकेदार** के साथ अनुबंध करना।

◆ सत्यनिष्ठा से परे कृत्यों में शामिल होने के ख़तरों से बचाव करना

- *आपूर्तिकर्ताओं, भागीदारों, सेवा प्रदाताओं और उपठेकेदारों के साथ खरीदारी और संबंध*

साझेदारों, आपूर्तिकर्ताओं, सेवा प्रदाताओं और उपठेकेदारों के साथ सभी रिश्ते, हमारी सारी नीतियों और नैतिक सिद्धांतों के अनुसार होते हैं।

इन तीसरे पक्षों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ये सिद्धांत उनकी पूरी आपूर्ति श्रृंखला में लागू किए जाएं।

सभी प्रबंधक और कर्मचारी, अपने-अपने स्तर पर, हमारे तीसरे पक्षों के साथ, चाहे वे कोई भी हों, हमारे संबंधों में हमारी नैतिकता से संबंधित नीतियों और सिद्धांतों को सही से लागू करने के लिए ज़िम्मेदार हैं।

- *हितों का टकराव*

हितों का टकराव तब उत्पन्न हो सकता है जब समूह के हितों में किसी कर्मचारी के निजी हित हस्तक्षेप कर सकते हैं और इस कर्मचारी के कार्यों या निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं, या प्रभावित करते प्रतीत होते हैं।

इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए, समूह ने हितों के टकराव की नीति लागू की है जिसके लिए प्रबंधन द्वारा आंतरिक रिपोर्टिंग और जोखिम स्थितियों को पहले से पहचानने की आवश्यकता होती है।

इसी तरह, भरे जाने वाले पदों के संदर्भ में भ्रष्टाचार के जोखिम से सबसे अधिक प्रभावित हो सकने वाले लोगों की बाहरी और आंतरिक भर्ती के लिए एक उचित पूरी जांच-पड़ताल करने से हितों के टकराव की किसी भी संभावित स्थिति को रोकना संभव हो पाता है।

क्या करना चाहिए

- **अपने परिवार के सदस्यों** या करीबी दोस्तों के साथ '**ENGIE** के नाम पर व्यावसायिक संबंध न रखें।
- **ऐसी गतिविधियाँ न करें** जिनसे समूह के हितों से टकराव होता है।
- **वास्तविक या स्पष्ट हितों के टकराव** की संभावित स्थिति का आकलन करने के लिए हमेशा विवेक से काम लें और ऐसे कार्यों से अपनी दूरी बनाए रखें।
- यदि आपकी व्यक्तिगत स्थिति आपके पेशेवर मिशनों के संबंध में हितों का वास्तविक या स्पष्ट टकराव पैदा करने की संभावना है, तो तुरंत अपने प्रबंधक या नैतिकता और अनुपालन अधिकारी को **सूचित करें।**

क्या नहीं करना चाहिए

- समूह के लिए उनके मिशनों से संबंधित हितों के संभावित टकराव की स्थिति की जानकारी को छिपाना या **दबाना।**
- **ऐसा सोचना** कि हितों के टकराव का मुद्दा केवल बड़ी रकम वाली परियोजनाओं या अनुबंधों से संबंधित है।
- **भर्ती करते समय** परिवार के किसी सदस्य या प्रियजन के काम या पगार का मूल्यांकन करते समय कंपनी के निर्णय लेने में शामिल रहना।
- निजी उपयोग के लिए कंपनी की संपत्ति या संसाधनों का **उपयोग करना।**

- *उपहार, निमंत्रण और तकनीकी यात्राएँ*

उपहार, निमंत्रण और तकनीकी यात्राएँ पेशेवर शिष्टाचार के प्रतीक हैं और इन्हें स्थानीय रीति-रिवाजों के अनुरूप होना चाहिए।

समूह उपहारों और निमंत्रणों और तकनीकी यात्राओं की संख्या, इनके बार-बार होने और कीमतों को यथासंभव सीमित करना चाहता है, चाहे वे समूह के कर्मचारियों द्वारा दिए गए हों या लिए गए हों। उपहार या निमंत्रण प्राप्त करना या देना कभी भी कर्तव्य या दायित्व में नहीं आता।

समूह नीति यह निर्धारित करती है कि किन कड़ी शर्तों के तहत उपहार, निमंत्रण और तकनीकी यात्राएँ स्वीकार या पेश की जा सकती हैं। इस नीति में समूह के सभी कर्मचारियों (इसके प्रबंधकों सहित) के लिए एक सामान्य डिजिटल रजिस्टर में जानकारी बनाए रखना शामिल है। इस रजिस्टर से उपहारों, निमंत्रणों और तकनीकी यात्राओं का पता लगाना और नियंत्रण करना आसान हो जाता है।

उपयोगी जानकारी

- **समूह** नकद या **समतुल्य उपहार,** या **सेवाओं या अन्य प्रकार के लाभों के** रूप में **उपहार (उदाहरण के लिए रोज़गार का वादा)** देने पर प्रतिबंध लगाता है।
- **लागू राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध जाकर**, उपहार और निमंत्रण, चाहे वह उस इकाई या व्यक्ति का हो जिसने पेशकश की है या उस इकाई या व्यक्ति का हो जो पेशकश प्राप्त कर रहा हो, का लेन-देन निषिद्ध है।
- **जब सरकारी प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों को कोई उपहार या निमंत्रण दिया जाता है तो इस संबंध में विशेष सतर्कता बरती जानी चाहिए।**

क्या करना चाहिए

- उपहार या निमंत्रण देने या प्राप्त करने से पहले, यह सुनिश्चित कर लें कि आपको समूह नीति के फ्रेमवर्क के अंतर्गत ऐसा करने की **इजाज़त है।**
- **यदि किसी उपहार या निमंत्रण के बारे में संदेह है,** तो अपने सीनियर या अपने नैतिकता एवं अनुपालन अधिकारी के साथ इस पर चर्चा करें।
- दिए गए या प्राप्त किए गए उपहार या निमंत्रण को समूह डिजिटल रजिस्टर में **रजिस्टर करें।**
- ऐसे निमंत्रण या यात्रा को **अस्वीकार करें** जो हितों का टकराव पैदा कर सकता है या ऐसा संकेत देता है कि कोई अनैतिक उद्देश्य है।

क्या नहीं करना चाहिए

- लाभ की उम्मीद करते हुए किसी उपहार या निमंत्रण की **पेशकश करना।**
- निविदाओं के लिए आवेदन या प्रतियोगिता के भाग के रूप में किसी उपहार या निमंत्रण की **पेशकश करना।**
- दिए गए या प्राप्त किए गए उपहार के बारे में **न बताना** या अगर आप इसकी प्रकृति या मूल्य से असहज हुए तो यह भी न बताना।
- उपहार, निमंत्रण, या तकनीकी यात्राएँ छिपाने के लिए कंपनी खातों का **उपयोग करना।**

किसी भी अनैतिक घटना की रिपोर्ट करें: इसे अपने तक न रखें

किसी संभावित अनैतिक स्थिति का सामना करना या नैतिक प्रश्न पूछना अक्सर संवेदनशील मामला होता है, विशेष रूप से यह उन लोगों के व्यवहार से संबंधित हो सकता है जिन्हें हम जानते हैं या जिनके साथ हम हर दिन बातचीत करते हैं।

इन विषयों को संबोधित करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है, लेकिन अक्सर यह अस्वीकार्य तौर-तरीकों को समाप्त करने और सुधार के रास्ते शुरू करने का एकमात्र तरीका होता है।

यही कारण है कि इन विषयों को उन लोगों के साथ साझा करना महत्वपूर्ण है जिन पर आप भरोसा करते हैं, सबसे पहले अपने सीनियर और संबंधित **नैतिकता और अनुपालन अधिकारी** के साथ। यदि ऐसा करना बहुत मुश्किल या असंभव हो रहा है, तो आप कभी भी समूह के अलर्ट सिस्टम की मदद ले सकते हैं।

सामना करें और कभी ऐसी बातों को अपने तक न रखें...

◆ अनैतिक घटनाओं की मैनेजर को रिपोर्ट करना और उसकी प्रोसेस करने की निगरानी

प्रत्येक प्रबंधक को समूह की प्रक्रिया और साधनों के फ्रेमवर्क के तहत अनैतिक घटनाओं की रिपोर्ट करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी जांच की जाए और उनका समाधान हो।

नैतिकता, अनुपालन और गोपनीयता विभाग यह सुनिश्चित करता है कि समूह के सभी स्तरों पर उसके द्वारा स्थापित साधनों का उपयोग करके सभी नैतिक घटनाओं की रिपोर्ट और प्रबंधन किया जाए।

किसी भी सिद्ध उल्लंघन के लिए जांच या आंतरिक जांच, यदि लागू हो, के बाद **एक अनुशासनात्मक प्रतिक्रिया** देनी चाहिए और एक उचित कार्य योजना बनानी चाहिए। **ENGIE** अपने आंतरिक निर्देशों और जांचों को विवेक, स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ आचरण के माध्यम से पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सभी नैतिक घटनाओं की रिपोर्ट की जाती है और उनका समाधान किया जाता है!

क्या करना चाहिए

- किसी नैतिक समस्या या प्रश्न का सामना होने पर कभी भी **इसे अपने तक न रखें।** किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लेने में संकोच न करें। किसी भी स्थिति में, नैतिकता एवं अनुपालन अधिकारी आपकी बात सुनने के लिए यहां मौजूद हैं।
- **एक टीम मैनेजर के रूप में**, हर समय विश्वास का माहौल बनाए रखें और आपके सहकर्मियों को अपने नैतिकता से संबंधित प्रश्न साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें।
- किसी अनैतिक मुद्दे के मौजूद होने पर उसे **कभी भी नज़रअंदाज़ न करें**, भले ही वह विशेष रूप से आपके मिशन से संबंधित न हो।
- समूह द्वारा उपलब्ध कराए गए चैनलों के माध्यम से अनैतिक घटनाओं की रिपोर्टिंग की प्रक्रिया के उपयोग के लिए **प्रोत्साहित करें।**

क्या नहीं करना चाहिए

- **यह सोच लेना** कि किसी अनैतिक समस्या या प्रश्न को अकेले ही हल किया जा सकता है।
- वास्तविक या संभावित जानकारी को **छिपाना** जिसका असल में खुलासा होना चाहिए था।
- **यह सोच लेना** कि जो व्यक्ति किसी नैतिक उल्लंघन की रिपोर्ट करता है या जो अलर्ट भेजता है वह समस्याओं की जड़ है और उसे दंडित किया जाना चाहिए।

मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा कि वह "किसी भी कीमत पर" डिलीवरी में हुई देरी का समाधान करेगा और यह बात पूरी तरह से उसके और हमारे उपठेकेदार के बीच ही रहेगी। उन्होंने जो कहा उससे मैं सहज महसूस नहीं कर रहा हूं, हो सकता है मैंने गलत समझा हो। साथ ही, मैं इस विषय को सीधे उनके सामने उठाने से डरता हूं...

...क्या मुझे स्थिति को वैसे ही छोड़ देना चाहिए या मदद मांगनी चाहिए?

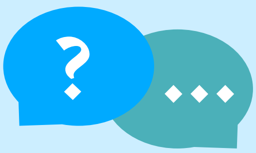

प्रश्न - उत्तर

यदि कोई स्थिति आपको असहज करती है, तो आपको इसके बारे में बात करने की ज़रुरत है न कि उसे अपने तक रखने की।
आप अपने पदानुक्रम के उच्चतम स्तर या अपनी इकाई के नैतिकता एवं अनुपालन अधिकारी को सूचित कर सकते हैं।

इसके बाद स्थिति का आकलन किया जा सकता है और अनुवर्ती कार्रवाई का निर्णय लिया जा सकता है जैसे अतिरिक्त जानकारी का अनुरोध करना, कुछ बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए उपठेकेदार से संपर्क करना, यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक और निवारक कार्रवाई लागू करना।

◆ ग्रुप अलर्ट सिस्टम

समूह ने हमारे सभी कर्मचारियों और हमारे सभी तृतीय पक्षों (आपूर्तिकर्ताओं, उप-ठेकेदारों, ट्रेड यूनियनों, गैर सरकारी संगठनों, ग्राहकों, आदि) के लिए एक अलर्ट सिस्टम स्थापित किया है।

समूह के अलर्ट सिस्टम से समूह की सभी इकाइयों को लाभ मिलता है।

समूह के अलर्ट सिस्टम पर दो रिपोर्टिंग माध्यम उपलब्ध हैं: ईमेल एड्रेस (ethics@engie.com) और विशेष तौर पर प्रदान किए गए टेलीफोन नंबर।

अलर्ट कई भाषाओं में प्राप्त किए जा सकते हैं और सेवा 24/7 उपलब्ध है।

सभी घटनाओं और चेतावनियों को गोपनीयता और पहचान गुप्त रखने की सुरक्षा की गारंटी देने वाले फ्रेमवर्क के तहत नियंत्रित किया जाता है।

हमारी प्रक्रिया सभी व्हिसिलब्लोअर्स को पूरी तरह से सुरक्षित रखती है। इस आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली का नेक नीयत से उपयोग करने के लिए किसी व्हिसलब्लोअर को दंडित नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर, रिपोर्टिंग सिस्टम का कोई भी अपमानजनक या दुर्भावनापूर्ण उपयोग करना अभियोजन या प्रतिबंधों के अधीन हो सकता है।

समूह के अलर्ट सिस्टम की जानकारी, समूह की वेबसाइट के नैतिकता और अनुपालन पेजों पर मौजूद है।

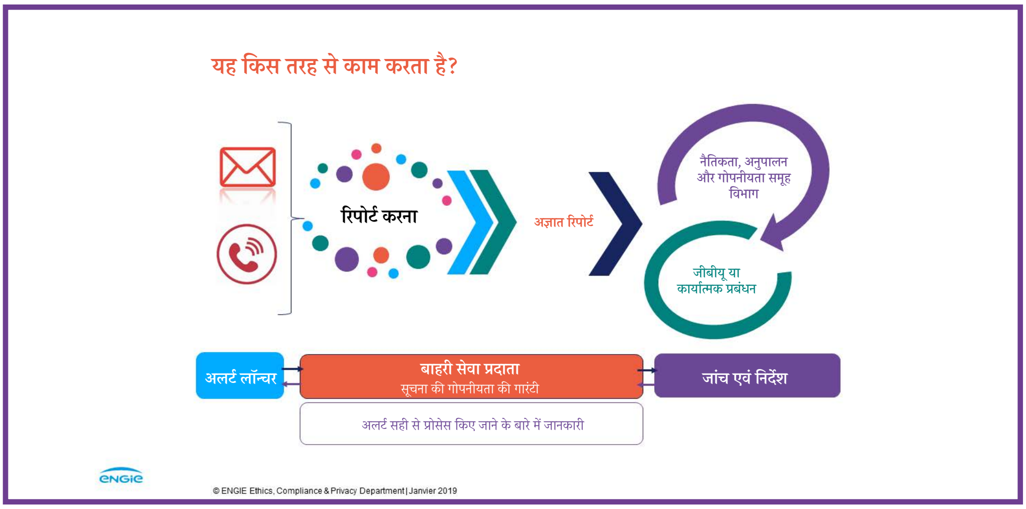

यह अलर्ट सिस्टम, समूह के उन सभी कर्मचारियों और हितधारकों के लिए है जो किसी घटना के पीड़ित या गवाह हैं।

हमारे सिद्धांतों के किसी भी उल्लंघन के संबंध में

हमारे सिद्धांतों के किसी भी उल्लंघन पर कार्रवाई अवश्य की जाएगी, चाहे वह अनुशासनात्मक हो या वाणिज्यिक।

समूह की प्रत्येक इकाई और प्रत्येक प्रबंधक हमारे सिद्धांतों को बनाए रखने, उनके अनुसार कार्य करने और किसी भी उल्लंघन पर कार्रवाई करने के लिए अपने स्तर पर कार्य करते हैं।

भ्रष्टाचार में शामिल कोई भी कर्मचारी **Engie** समूह में नहीं रह सकता। समूह की मानव संसाधन नीति और लागू राष्ट्रीय कानून के अनुसार, हमारी नैतिक आचार संहिता को लागू करने में विफल रहने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है।

कोई सवाल, कोई संदेह?

नैतिकता और अनुपालन के बारे में किसी भी जानकारी या सलाह के लिए:

ethics-communication@engie.com

यदि आप कोई अलर्ट बनाना या रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो कृपया हमारे ग्रुप अलर्ट सिस्टम का उपयोग करें:

ethics@engie.com

ENGIE पर व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा के संदर्भ में किसी भी जानकारी के लिए:

dpo@engie.com

ENGIE की व्हिसलब्लोइंग प्रणाली का उपयोग करें!

एक बाहरी व्यक्ति पूरी गोपनीयता के साथ
आपके द्वारा दिए अलर्ट को प्राप्त करेगा

ethics@engie.com

सभी देशों के लिए टोल-फ्री नंबर*

फ्रांस के लिए लैंडलाइन नंबर
+33 1 45 51 03 67

* *देश में उपलब्धता के आधार पर टोल-फ्री नंबरों की सूची: https://www.engie.com/ethique-et-compliance/dispositif-alerte

संबंधित जानकारी से ख़ास बातें

संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी संधि:
संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी संधि, संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाई एक अंतरराष्ट्रीय संधि है और इसे 31 अक्टूबर, 2003 को अपनाया गया था। यह भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए अपने कानूनी शासन को मजबूत करने के लिए हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए उपलब्ध मानकों, नियमों और उपायों के एक निकाय का बंदोबस्त करती है।

यूएस एफसीपीए (विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम):
1977 में अधिनियमित विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम (एफसीपीए), आम तौर पर बाज़ार में उतरने या बने रहने में मदद करने के लिए विदेशी अधिकारियों को रिश्वत के भुगतान पर प्रतिबंध लगाता है, जो आपराधिक और नागरिक दंड के अधीन है।

यूके रिश्वत अधिनियम:
2010 का यह अधिनियम अपनी धारा 7 के तहत रिश्वत को एक अपराध मानता है, जो उन वाणिज्यिक संगठनों द्वारा किया जा सकता है जो अपने साथ जुड़े लोगों को, उनकी ओर से किसी दूसरे व्यक्ति को रिश्वत देने से रोकने में विफल रहते हैं।
एक संगठन जो यह साबित कर सकता है कि उसके पास उससे जुड़े लोगों को रिश्वत देने से रोकने के लिए पर्याप्त प्रक्रियाएं हैं, वह धारा 7 के तहत अपराध के खिलाफ खुद का बचाव करने में सक्षम होगा।

पारदर्शिता, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई और आर्थिक आधुनिकीकरण कानून (9 दिसंबर, 2016 का "सैपिन 2" कानून) (फ्रांस):
यह कानून व्यवसायों और प्रशासनों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विभिन्न आंतरिक तंत्रों के कार्यान्वयन का प्रावधान करता है, जो एक नई संरचना, फ्रांसीसी भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी (एएफए) द्वारा नियंत्रित है, जो इस क्षेत्र में प्रशासनिक समन्वय के लिए भी ज़िम्मेदार है और प्रशासनिक प्रतिबंध लगाने में सक्षम है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की संधि:
आईएलओ के मौलिक सम्मेलनों में संघ की स्वतंत्रता, सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार, जबरन श्रम का उन्मूलन, बाल श्रम के सबसे खराब रूपों का उन्मूलन और भेदभाव का उन्मूलन शामिल है।

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक लेनदेन में विदेशी सार्वजनिक अधिकारियों की रिश्वतखोरी का मुकाबला करने के लिए ओईसीडी संधि:
1997 में अपनाई गई रिश्वतखोरी का मुकाबला करने के लिए ओईसीडी संधि, अंतरराष्ट्रीय व्यापार लेनदेन में विदेशी सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने को एक आपराधिक अपराध मानने के लिए मानक निर्धारित करती है। यह अपने प्रावधानों के कार्यान्वयन से, संबंधित बहुराष्ट्रीय उद्यमों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत भी प्रदान करती है।

बहुराष्ट्रीय उद्यमों के लिए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के मार्गदर्शक सिद्धांत:
बहुराष्ट्रीय उद्यमों के लिए ओईसीडी दिशानिर्देश, 1976 में अपनाए गए, ओईसीडी सदस्य देशों और अन्य सहयोगी देशों द्वारा बहुराष्ट्रीय उद्यमों को की गई सिफारिशों का एक सेट है, ताकि उन्हें मानवाधिकार, आपूर्ति श्रृंखला ज़िम्मेदारी, पर्यावरण, उपभोक्ता संरक्षण, भ्रष्टाचार विरोधी और प्रतिस्पर्धा सहित कई क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों में ज़िम्मेदाराना व्यवहार अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

सतर्कता निर्वहन पर कानून (फ्रांस):
2017 में अपनाया गया कानून। यह उन कंपनियों और समूहों पर लागू होता है जो लगातार दो वर्षों तक फ्रांस में 5,000 से अधिक या फ्रांस और विदेशों में 10,000 से अधिक कर्मचारियों को रोज़गार देती हैं। उन्हें एक सतर्कता योजना की स्थापना, प्रकाशन, सम्मान और मूल्यांकन करना चाहिए जो जोखिमों की पहचान करती है और मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता, लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ-साथ उनके प्रभाव क्षेत्र, सहायक कंपनियों और उपठेकेदारों एवं पर्यावरण पर गंभीर हमलों को रोकती है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध:
संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ की परिषद के साथ -साथ देश प्राकृतिक, नैतिक या संस्थाओं के खिलाफ वित्तीय या वाणिज्यिक प्रतिबंधात्मक उपायों (जिसे "एम्बार्गो" या "प्रतिबंध" भी कहा जाता है) को अपना सकते हैं। ये उपाय कुछ देशों के साथ वस्तुओं, प्रौद्योगिकियों या लक्षित सेवाओं के व्यापार पर प्रतिबंध और पाबंदी, धन और आर्थिक संसाधनों को रोकने के उपाय और कभी-कभी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच पर प्रतिबंध का रूप लेते हैं।

निर्यात नियंत्रण पर नियम:
निर्यात नियंत्रण का उद्देश्य वैध व्यापार को सुविधाजनक और सुरक्षित करते हुए सामूहिक विनाश के हथियारों, रासायनिक या जैविक हथियारों, या हथियार थोपने के विकास में भाग लेने की संभावना वाले ऐसे सभी प्रकार के निर्यातों को नियंत्रित करना है जो शांतिपूर्ण नागरिक उपयोग के बजाय कहीं ग़लत इस्तेमाल किए जा सकते थे।

एम्बार्गो सहित देशों के निर्यात पर भी निर्यात नियंत्रण किया जाता है।
युद्ध सामग्री के नियंत्रण से संबंधित विशिष्ट प्रावधान भी हैं (उदाहरण के लिए फ्रांस में) जो निषेध के एक सामान्य सिद्धांत पर आधारित हैं, जिसके परिणामस्वरूप संपूर्ण रक्षा क्षेत्र और इसके विस्तार को राज्य के नियंत्रण में रखा जाता है।
और आखिर में, परमाणु सामग्रियों के नियंत्रण से संबंधित विशिष्ट प्रावधान हैं। निर्यात नियंत्रण पर नियम यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई स्तरों पर जारी किए जाते हैं।

मानव अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय विधेयक, जिसमें मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संविदा और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संविदा शामिल है:
ये दस्तावेज़ उन सभी मौलिक ग्रंथों का निर्माण करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानून में मानवाधिकारों की रक्षा करते हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (यूडीएचआर) वह प्रमुख दस्तावेज है जिसने मानव अधिकारों के इतिहास को चिह्नित किया है।
1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा आवश्यक मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता को निर्धारित करती है जिसके लिए दुनिया भर के सभी पुरुष और महिलाएं बिना किसी भेदभाव के हकदार हैं।
1966 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दो अंतरराष्ट्रीय संधियों को अपनाया, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून को भी आकार दिया है: आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध। सार्वभौम घोषणा और ये दो अनुबंध मिलकर मानव अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय विधेयक बनाते हैं।

जीडीपीआर:
जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (जीडीपीआर) एक यूरोपीय नियामक टेक्स्ट है जो यूरोपीय संघ के पूरे क्षेत्र में समान तरीके से डेटा प्रोसेसिंग को नियंत्रित करता है। यह 25 मई, 2018 को लागू हुआ।

शब्दावली

चूँकि हमारा समूह विभिन्न कानूनों और संस्कृतियों वाले कई देशों में स्थापित है, इसलिए सामान्य परिभाषाएँ स्थापित करना आसान नहीं है। हालाँकि, हम कई परिभाषाएँ प्रस्तावित करते हैं जो केवल सूचना उद्देश्यों के लिए विकसित की गई हैं, लेकिन जिनका उद्देश्य कई देशों या अंतर्राष्ट्रीय ढांचे में ज्ञात कानूनी तत्वों को स्पष्ट करना है।

भ्रष्टाचार:
भ्रष्टाचार उस व्यवहार को संदर्भित करता है जिसके द्वारा किसी कार्य को पूरा करने या उससे दूर रहने, या एहसान या विशेष लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से पेशकश, वादे, दान या उपहार मांगे, स्वीकार या प्राप्त किए जाते हैं।
सक्रिय भ्रष्टाचार और निष्क्रिय भ्रष्टाचार दो पूरक हैं लेकिन अलग-अलग दंडनीय अपराध हैं।
भ्रष्टाचारी के कार्यों (सक्रिय भ्रष्टाचार) और भ्रष्ट होने वाले के कार्यों (निष्क्रिय भ्रष्टाचार) पर अलग-अलग मुकदमा चलाया जा सकता है और न्याय किया जा सकता है और एक का दमन किसी भी तरह से दूसरे को सज़ा न मिलने के अधीन नहीं है।
दरअसल, भ्रष्ट व्यक्ति वादे, उपहार या दान स्वीकार करता है और यहां तक कि उनसे अनुरोध भी कर सकता है, जबकि भ्रष्टाचारी उपहार और दान की पेशकश करता है, भ्रष्टाचार की वस्तु को सौंपकर भ्रष्ट के अनुरोधों को पूरा करने की हद तक वादे करता है।

भेदभाव:
भेदभाव का उद्देश्य लोगों को उनकी उत्पत्ति, उनके लिंग, उनकी पारिवारिक स्थिति, उनकी गर्भावस्था, उनकी शारीरिक उपस्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति से उत्पन्न विशेष भेद्यता, इसके लेखक को स्पष्ट या ज्ञात, उनके उपनाम, उनका निवास स्थान, उनके स्वास्थ्य की स्थिति, उनकी स्वायत्तता की हानि, उनकी विकलांगता, उनकी आनुवंशिक विशेषताएं, उनकी नैतिकता, उनकी यौन अभिविन्यास, उनकी लिंग पहचान, उनकी उम्र, उनकी राजनीतिक राय, उनकी संघ गतिविधियाँ, उनकी खुद को व्यक्त करने की क्षमता फ्रेंच के अलावा कोई अन्य भाषा, उनकी सदस्यता या गैर-सदस्यता, एक जातीय समूह, एक राष्ट्र, एक तथाकथित जाति या एक विशिष्ट धर्म के लिए सही या अनुमानित के आधार पर कानून द्वारा निषिद्ध कारणों से नुकसान पहुंचाना है।
इनमें से किसी एक आधार पर भेदभाव आपराधिक कानून द्वारा दंडनीय है।

व्यक्तिगत डेटा:
किसी व्यक्ति से संबंधित उसे पहचानने या पहचान योग्य बनाने वाली कोई भी भौतिक जानकारी है।
पहचाने जाने योग्य व्यक्ति वह है जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहचाना जा सके।
जब किसी व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाती है, तो डेटा को अनामित कहा जाता है।
व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा कानूनों के अधीन है, जिसका अनुपालन न करना एक दंडनीय अपराध हो सकता है।

गुलामी या दासता:
दासता कन्वेंशन, संयुक्त राष्ट्र, 1926 द्वारा परिभाषित, गुलामी किसी व्यक्ति पर संपत्ति के अधिकार के गुणों का प्रयोग करने या किसी व्यक्ति को काम करने के लिए मजबूर करके, उसे यौन कार्य करने, भीख मांगने या किसी अवैतनिक सेवा की निरंतर अधीनता की स्थिति में बनाए रखने का कार्य है।

धोखाधड़ी:
धोखाधड़ी को कोई भी स्वैच्छिक और छिपी हुई कार्रवाई या चूक माना जाता है, जो धोखेबाज़ या किसी तीसरे पक्ष के लिए अनुचित सामग्री या नैतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से लागू कानूनों या कंपनी के नियमों को धोखा देने या उन्हें दरकिनार करने के इरादे से किया जाता है।
धोखाधड़ी कई तरह की होती है, जिनमें से सभी को दंडित किया जाता है: पैसे, सामान, डेटा की चोरी, दस्तावेजों को जानबूझकर बदलना, छिपाना या नष्ट करना, गलत लेखन या झूठे वादे, खातों में हेरफेर, जालसाज़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार...

नैतिक उत्पीड़न:
काम का माहौल बिगाड़ने के उद्देश्य से दूसरों को बार-बार टिप्पणियों या व्यवहार के माध्यम से परेशान करना या प्रभावित करना, जिससे उन्हें अपना अधिकार और गरिमा कम होना महसूस हो सकता है, उनका शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य ख़राब हो सकता है या उनके पेशेवर भविष्य पर असर पड़ सकता है, आपराधिक रूप से दंडनीय है।

यौन उत्पीड़न:
यौन उत्पीड़न किसी व्यक्ति पर बार-बार यौन या लैंगिक भेदभाव वाली टिप्पणियां या व्यवहार करने का कृत्य है जो उनके चरित्र को नीचा दिखाने या हनन करने के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाता है। यह काम पर या उसके बाहर हो सकता है। यह एक दंडनीय अपराध है।

अंदरूनी जानकारी
अंदरूनी जानकारी सटीक जानकारी है जिसे सार्वजनिक नहीं किया गया है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्तीय साधनों के एक या अधिक जारीकर्ताओं, या एक या अधिक वित्तीय साधनों से संबंधित है, और यदि इसे सार्वजनिक किया जाता है, तो उनके वित्तीय साधनों की कीमत पर या उनसे जुड़े वित्तीय साधनों की कीमत पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है।

काम कराने के लिए पैसे का लेन-देन:
ये पेमेंट छोटे कमीशन या छोटे उपहार हैं जो सरकारी सेवकों या निर्णय लेने की शक्ति वाले लोगों से अपना काम कराने के एवज में उन्हें लाभ के तौर पर दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए वीज़ा प्राप्त करने या माल को अधिक तेज़ी से क्लियर कराने के लिए एक छोटी रकम देना।
वे कई देशों में दंडनीय अपराध हैं और वे समूह द्वारा प्रतिबंधित हैं।

पद का दुरुपयोग करने के लिए उकसाना:
इसमें शामिल है एक सरकारी अधिकारी, एक प्राधिकरण या विशिष्टताओं, नौकरियों, बाजारों या किसी अन्य अनुकूल निर्णय लेने के लिए सार्वजनिक प्रशासन को अपने लिए या दूसरों के लिए, उपहार और निमंत्रण और तकनीकी यात्राओं की पेशकश करने के विचार को बढ़ावा देना जो सक्रिय प्रभाव का एक कार्य बनता है ताकि वह प्रभाव प्राप्त करने की दृष्टि से अपने वास्तविक या कथित प्रभाव का दुरुपयोग कर सके।

किसी सार्वजनिक अधिकारी द्वारा इसी तरह के उद्देश्यों के लिए ऐसे उपहारों और निमंत्रणों और तकनीकी यात्राओं की स्वीकृति या आग्रह करना परोक्ष तरीके से पद का दुरुपयोग करने के लिए उकसाने का कार्य है। पद का दुरुपयोग करने के लिए उकसाना एक दंडनीय अपराध है।

बाल मज़दूरी:
यह किसी भी ऐसे काम से संबंधित है जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और जो उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। यह शब्द अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के न्यूनतम आयु सम्मेलन, 1973 (नंबर 138), और बाल मज़दूरी के सबसे विकृत स्वरुप पर कन्वेंशन, 1999 (नंबर 182), साथ ही साथ बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन द्वारा परिभाषित किया गया है।

बंधुआ मज़दूरी:
आईएलओ जबरन श्रम के उन्मूलन पर कन्वेंशन (संख्या 29), 1930 द्वारा परिभाषित, जबरन श्रम में किसी दंड की धमकी के तहत किसी व्यक्ति से मांगा गया कोई भी कार्य या सेवा शामिल है और जिसके लिए उक्त व्यक्ति ने स्वेच्छा से पेशकश नहीं की है।

इस आचार संहिता को **ENGIE S.A. की कार्यकारी समिति द्वारा अपनाया गया है। इस आचार संहिता को** 11 सितंबर, 2023 को **ENGIE S.A. की कार्यकारी समिति और निदेशक मंडल की नैतिकता, पर्यावरण और सतत विकास** समिति द्वारा 20 सितंबर, 2023 को अपनी बैठक के दौरान अपनाया गया था।

इस दस्तावेज़ के अनुवाद व्याख्या के अधीन हो सकते हैं, केवल फ़्रेंच संस्करण का उल्लेख किया गया है।

- नैतिकता और अनुपालन के बारे में किसी भी जानकारी या सलाह के लिए: **ethics-communication@engie.com**
- किसी नैतिक घटना की रिपोर्ट समूह को करने के लिए: **ethics@engie.com**
- **ENGIE** पर व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा के संदर्भ में किसी भी जानकारी के लिए: **dpo@engiecom**

पहला संस्करण - नवंबर 2009
पिछला पुन: संस्करण - नवंबर 2023

डिज़ाइन एवं लेखन:

मुख्य कार्यालय: 1 place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie - France
engie.com